वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kd fjiksVZ 2017&2018

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय-सूची

- çEk[k miyfC/k;k 1
- lLFkku dk fotu vkj fe'ku 8
- lLFkku dk vf/kn'k 9
- lLFkku dh Lkjpuk 10
- vuqlq/kku 14

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 15

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र 21

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 23

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 33

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 38

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 43

पूर्वोत्तर केंद्र 51

श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 57

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 62

- çf'k{k.k vkj f'k{kk 67
- ,u- vkj- Mh Je lpuk llk/ku dn 83
- jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kUo;u 85
- çdk'ku 87
- lLFkku dk b&xou l ,o fMftVy vol jpuk dk mUu;u 91
- depkfj;k dh l[;k 92
- QdYVh ,o vf/kdkfj;k dh lph 93
- y[kk ijh{kk fjikV vkj y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2017&2018 95

çEkq[k miyfC/k;k¡
(2017-2018)

- Okh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] Je ,oa lacaf/kr eqn~nksa ij vuqla/kku] çf'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,oa ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh laLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का iqu%ukedj.k 1995 esa] Hkkjr ds HkwriwoZ jk"Vªifr ,oa çfl) VªsM ;wfu;u urk Jh oh- oh- fxfj ds uke ij fd;k x;kA
- ,d fo'oLrjh; çfrf"Br laLFkku ds :Ik esa mHkjuk% संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।
- Ukhfr&fuekZ.k ds fy, Kku dk vk/kkj% संस्थान ने 22 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं जिन्होंने श्रम अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति–निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- fo'ks"kK lgk;rk lsok,¡% संस्थान समय–समय पर आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान जिन क्षेत्रों में इनपुट प्रदान किए गए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

  (i) असंगठित क्षेत्र पर फोकस के साथ भारत में रोजगार सृजन कार्यनीतियाँ

  (ii) सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता, 2018 का मसौदा

  (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का निष्पादन मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन

  (iv) 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजूदरी/मजूदरियों' के निर्धारण एवं समायोजन की विधि

  (v) भारत में बीड़ी सैक्टर से संबंधित समस्याएँ एवं मुद्दे

  (vi) श्रम कानून सुधारों में विभिन्न राज्यों द्वारा शुरु की गयी उत्तम प्रथाओं एवं पहलों का अंगीकरण

- **lkekftd Hkkxhnkjksa dk ifjorlu dh pqukfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, rS;kj djuk%** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रही हैं। संस्थान ने 138 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं जैसे प्रमुख पणधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4208 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। संस्थान की स्थापना के बाद यह पहली बार है जबकि संस्थान ने एक वर्ष में इतने अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा यह भी पहली बार है जब एक वर्ष संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 4000 रही।

- **vlaxfBr dkexkjksa dks l'kDr cukuk%** संस्थान ने 42 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 1203 नेताओं/प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

- **iwokZsÙkj {ks= dh fpUrkvksa ds lek/kku ds fy, fo'ks"khd`r çf'k{k.k%** संस्थान ने 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों के लिए किया। संस्थान ने निम्नलिखित तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं वीवीजीएनएलआई में आयोजित किए गए तथा इनमें 446 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है तथा यहाँ उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने पर जोर दे रहा है। संस्थान ने निम्नलिखित कार्यशालाएँ भी आयोजित कीं:

  (i) मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के सहयोग से 12 अप्रैल 2017 को 'पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे: सरोकार एवं चुनौतियाँ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी।

  (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग एवं क्षेत्रीय परिसर मणिपुर के सहयोग से 26–29 मई 2017 के दौरान 'पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी।

  (iii) वीवीजीएनएलआई एवं टाटा समाजविज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), गुवाहाटी के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक हिस्से के तौर पर टीआईएसएस के श्रम अध्ययन एवं

सामाजिक संरक्षण केंद्र के सहयोग से 16–17 मार्च 2018 के दौरान 'पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी।

- **Je d ennk ij vrjk"Vh; çf'k{k.k dk;Øe vk;kftr djus dk gc ¼dn½** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने लैंगिक मुद्दे, श्रम प्रशासन और रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर 07 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 164 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

(i) रॉयल भूटान सरकार के श्रम विभाग के अनुरोध पर संस्थान ने रॉयल भूटान सरकार के अधिकारियों के लिए 'श्रम प्रशासन, रोजगार सेवाएं एव कैरिअर परामर्श' पर 10–19 अप्रैल 2017 के दौरान एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रॉयल भूटान सरकार के श्रम विभाग के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ii) संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से 26–28 मार्च 2018 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में ckjgok vrjk"Vh; Je bfrgkl lEeyu आयोजित किया। भारत सहित 10 देशों के 80 प्रसिद्ध श्रम इतिहास विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 34 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किये गये एवं उन पर चर्चा की गयी।

सम्मेलन का मुख्य विषय ''विगत के आइने में काम का भविष्य'' है। इस सम्मेलन में संभावित भावी प्रवृत्तियों एवं नीति सूचकों के आलोक में विगत एवं वर्तमान में काम के बदलते प्रकार एवं कार्य संबंधों के साथ प्रौद्योगिकी के संबंध पर फोकस किया गया।

- **0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,o mls lqn`<+ cukuk%** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मूल उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में दोनों संस्थानों में सहयोग बढ़ाना है।

(i) आईटीसी–वीवीजीएनएलआई सहयोग के एक भाग के तौर पर अफगानिस्तान के सामाजिक भागीदारों के लिए 'रोजगार नीतियाँः नाजुकता से लचीलेपन की ओर' पर एक

एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया गया है। इस एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मार्टियर्स एंड डिसैबल्ड (एमओएलएसएएमडी), कामगार संगठनों, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठनों के 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के विषय थे – युवा रोजगारः नीति से कार्रवाई तक, उद्यमिता विकास, प्रवासन एवं रोजगार, कौशल एवं रोजगार योग्यता, नाजुक राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लिंग एवं श्रम तथा कार्यान्वयन का डिजाइनः रोजगार नीतियों के लिए संस्थान।

(ii) 27 अक्टूबर 2017 को डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा श्री यांगो लिउ, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आईएलओ ने दोनों संस्थानों के वर्तमान समझौता ज्ञापन (एमओयू) को एक साल की अवधि, अक्टूबर 2018 तक बढ़ाने के लिए एमओयू के एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये।

(iii) संस्थान ने श्रम एवं रोजगार से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यकलाप मुद्दों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कियेः

(क) गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के साथ एमओयू पर 27 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षर किये।

(ख) समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र (सीएसएसएससी), कलकत्ता के साथ एमओयू पर 20 जुलाई 2017 को हस्ताक्षर किये।

(ग) टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), गुवाहाटी के साथ एमओयू पर 06 अक्टूबर 2017 को हस्ताक्षर किये।

- Ukhfrxr enn~nk ij xgu cgl djus ,o çeq[k igyk dh çLrkj grq ep%

(i) संस्थान ने अनौपचारिक सैक्टर में काम करने वाली ट्रेड यूनियनों एवं सिविल सोसायटियों के प्रतिनिधियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता के मसौदे पर विचार–विमर्श करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से 06 अप्रैल 2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(ii) बिहार सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 12 अप्रैल 2017 को बिहार के विशेष संदर्भ में *'भारत में बाल श्रम की स्थिति – रुझानों का मानचित्रणः अध्ययन निष्कर्ष प्रसार* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता के मसौदे पर विचार–विमर्श करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से 13 अप्रैल 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(iv) *राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एनसीएलपी स्कीम) का निष्पादन मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन* पर एक कार्यशाला का आयोजन 08–09 मई 2017 को किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल श्रम के मुददे का समाधान करने में एनसीएलपी स्कीम की प्रभावकारिता की जाँच करना, जागरूकता सृजन के प्रभाव का आकलन करने तथा एनसीएलपी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना सोसायटी स्तर पर जिला परियोजना सोसायटी स्टाफ का इष्टतम उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना है।

(v) श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता के मसौदे पर विचार–विमर्श करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में 30 मई 2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(vi) *'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन'* पर एक कार्यशाला का आयोजन 06–07 सितम्बर 2017 को किया गया जिसमें देश के विभिन्न भागों से 189 परियोजना निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

(vii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से 26 सितम्बर 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में 'बाल श्रम' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 'पेंसिल' पोर्टल का शुभारंभ किया गया तथा माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का लोकार्पण किया गया।

(viii) *'भारत में रोजगार सृजन कार्यनीतियां'* पर एक विचार–मंथन सत्र का आयोजन संस्थान परिसर में 08 नवम्बर 2017 को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा किया गया तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की।

(ix) बीड़ी सैक्टर की समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान करने और इन मुद्दों के समाधान का पता लगाने के लिए संस्थान द्वारा *'बीड़ी सैक्टर से संबंधित मुद्दे'* पर एक कार्यशाला का आयोजन 15 – 17 फरवरी 2018 के दौरान किया गया। कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों, चिकित्सा अधिकारियों, नियोजकों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(x) *'विभिन्न श्रम कानूनों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए हालिया संशोधन'* पर एक कार्यशाला का आयोजन 22 – 23 फरवरी 2018 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पिछले दिनों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरु की गयी उत्तम पहलों तथा इन पहलों को दोहराने के तरीकों एवं साधनों को साझा करना था।

- **Je eqnnks ls lacaf/kr lwpuk ,oa fo'ys"k.k dk çlkj %** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (तिमाही पत्रिका), श्रम विधान (तिमाही हिंदी पत्रिका), वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका), चाइल्ड होप (तिमाही पत्रिका) तथा श्रम संगम (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2017–18 में 37 प्रकाशन प्रकाशित किये।

  वीवीजीएनएलआई की नवीनतम पहल सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव पर फोकस किया जाता है। इस दिशा में संस्थान ने एक नया प्रकाशन 'वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज' शुरु किया है जिसका लोकार्पण श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई ने किया। वर्ष 2017–18 के दौरान वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज के निम्नलिखित दो अंक प्रकाशित किए गए:

  - ✓ बोल्ड इनीशिएटिव टु इन्क्रीज़ वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ लेबर मार्किटः न्यू मेज़र्स इन मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट – एस. के. शशिकुमार
  - ✓ टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग दि रोल ऑफ एंप्लॉयर्स इन स्किल डेवलपमेंट – संतोष मेहरोत्रा

- **iqLrdky; ,oa lwpuk ç.kkyh%** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,115 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 178 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है।

संस्थान ने नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण '^,yvkbZch,lokbZ,l 10 bZtch^^ खरीदा है।

- vk/kfud Hkkjr dk vkdkj nsus esa Je dh Hkwfedk ij çdk'k Mkyuk% संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। इसमें श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के ycj vkdkbo dh oscl kbV (www.indialabourarchives.org) esa viyksM fd;s gSa, yxHkx 190000 ist fMftVy :Ik esa gSA

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार 30.01.2018 को आयोजित महापरिषद की बैठक में श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्री अरुण गोयल, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में 'लेबर एंड डेवलपमेंट' प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

laLFkku dk vf/kns'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

mn~ns'; vkSj vf/kns'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्त्कालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

laLFkku dh lajpuk

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

egkifj"kn~ dk xBu

1. श्री संतोष कुमार गंगवार — अध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

dsUnz ljdkj ds N% çfrfuf/k

2. श्रीमती एम. सत्यवती — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

3. श्री हीरालाल सामरिया — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्रीमती कल्पना राजसिंहोत — सदस्य
संयुक्त सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

5. श्री अरुण गोयल — सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

6. श्री सत्यनारायण मोहंती — सदस्य, सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

7. श्रीमती सुनीता सांघी — सदस्य
संयुक्त सलाहकार (एलईएम)
सलाहकार (श्रम एवं रोजगार)
योजना आयोग
नई दिल्ली–110001

deldkjk d nk çfrfuf/k

8. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव
भारतीय मजदूर संघ, केशावर कुदिल, 5 रंगासायी स्ट्रीट
पेराम्बूर, चेन्नई–600011

9. डॉ. जी. संजीव रेड्डी, भूतपूर्व सांसद — सदस्य
अध्यक्ष – इंटक
गली नं. 14, मकान नं. 658
जीएचएमसी, बर्कतपुरा
हैदराबाद – 500027 (आं.प्र.)

fu;kDrkvk d nk çfrfuf/k

10. श्री राजीव कपूर — सदस्य
कार्यकारी निदेशक – समूह एचआरएम
मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (कारपोरेट कार्यालय)
गाँव नवादा फतेहपुर, पो. सिंकंदरपुर बड्डा
मानेसर – 122 004, जिला – गुड़गाँव

11. श्री जितेंद्र गुप्ता — सदस्य
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
लघु उद्योग भारती (एलयूबी)
181, पीताम्बर अपार्टमेंट
रचना नगर
भोपाल – 462023

pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgku Je d {k= e vFkok ml l lcf/kr {k=k e mYy[kuh; ;kxnku fn;k g

12. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ
कार्यालय – राम नरेश भवन
तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज
नई दिल्ली

13. श्री अरुण वशिष्ठ — सदस्य
एल – 242, शास्त्री नगर
मेरठ (उ. प्र.)

14. डॉ. टी. राजेश्वर राव — सदस्य
मकान नं. 7–1–44
बालासमुद्रम, हनुमाकोंडा
वारेंगल जिला
तेलंगाना – 506001

15. श्री टी. कृष्णमूर्ति — सदस्य
राज्य अध्यक्ष
भारतीय जनता मजदूर मोर्चा
तेलंगाना राज्य
1–2756/74, डोमालगुडा
हैदराबाद – 500029

nk lln lnL;
¼ykd lHkk vkj jkT; lHkk ls ,d&,d½

16.	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल संसद सदस्य (लोक सभा) डॉ. बी. डी. मार्ग नई दिल्ली–110001	सदस्य
17.	श्री भूषण लाल जांगड़े संसद सदस्य (राज्य सभा) फ्लैट सं. 201, स्वर्णजयंती सदन डॉ. बी. डी. मार्ग नई दिल्ली–110001	सदस्य

vuqla/kku laLFkkuksa dk çfrfuf/k

18.	डॉ. राजीव कुमार गुप्ता, भा.प्र.से. महानिदेशक महात्मा गांधी श्रम संस्थान ड्राइव–इन रोड़, मेम नगर अहमदाबाद–380062 (गुजरात)	सदस्य

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk dk çfrfuf/k

19.	डॉ. एच. श्रीनिवास महानिदेशक वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सैक्टर–24, नौएडा–201301 जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)	सदस्य–सचिव

vuql/kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है, और इन कार्यकलापों के केंद्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है:

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना,
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना, और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और कार्य की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केंद्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केंद्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

Je cktkj v/;;u dsUnz

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केन्द्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केन्द्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केन्द्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्तम कार्य

iwjh dj yh xbZ ifj;kstuk,a

1- Hkkjr esa vkarfjd çoklu dh cnyrh xfr'khyrk

रोजगार की तलाश में लोगों का बढ़ता गमनागमन कार्य की दुनिया में समसामयिक परिदृश्य को चिह्नित करता है। यह गमनागमन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एवं बाहर, दोनों जगह परिलक्षित होता है। वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के कारण इस गमनागमन की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक विकास एवं श्रमिक गतिशीलता के मध्य विचलन है। इसके फलस्वरूप व्यापक रूप से माना जाने वाला प्रवासन विरोधाभास पैदा होता है। ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास को विकास एवं रोजगार में मंदी तथा प्रवासी आबादी में वृद्धि के तौर पर चिह्नित किया गया है।

यह विच्छेदन तीन पारस्परिक कारणों का परिणाम है। पहला, एक मापक समस्या – अधिकांश प्रवासन संकेतक प्रवासी आबादी के स्टॉक को मापते हैं और प्रवासन प्रवाह की काफी हद तक अल्प–परिगणना करते हैं। इस प्रकार, आजीवन प्रवासन को पर्याप्त रूप से दर्शाया जाता है जबकि मौसमी, आंचलिक एवं बदलते प्रवासन को अपर्याप्त रूप से दर्शाया जाता है। दूसरा – हो सकता है कि रोजगार संबंधों की बढ़ती अनौपचारिकता ने (असंगठित–अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचलित बड़े पैमाने पर अनियंत्रित रोजगार पैटर्न के साथ) मापक समस्या को बढ़ाते हुए स्थानिक विच्छेदन को श्रम आपूर्ति एवं उन्हें प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर के धुंधलेपन के साथ और भी मजबूत किया हो। अंत में, और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अब यह तेजी से स्पष्ट है कि श्रम प्रवासन की अवधारणा, श्रम की गतिशीलता के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।

19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित प्रवासन की अवधारणा ने लोगों के स्थानिक गमनागमन को औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण (ग्रामीण–शहरी प्रवासन) के साथ जोड़कर परिभाषित किया। इसी विचार से नीतिगत उपायों को भी तैयर किया गया था। विभिन्न संशोधनों के साथ यह अवधारणात्मक प्रतिमान आज भी रोजगार की तलाश में लोगों के गमनागमन के विवरण बताता है। 1970 के दशक के मध्य में प्रवासन प्रतिमान के साथ असंतोष के कारण एक विकल्प के तौर पर श्रम परिसंचरण की खोज हुई। हालांकि श्रमिक गतिशीलता के अनेक पहलू अभी भी प्रवासन के मौजूदा प्रतिमान के दायरे से बाहर हैं। इनमें शामिल हैं: एक ही अवस्थिति के भीतर गतिशीलता (शहरी या ग्रामीण परिवेश के भीतर), व्यवसायों के बीच गतिशीलता, किसी एक व्यवसाय के भीतर गतिशीलता एवं सैक्टरों (जैसे कि औपचारिक सैक्टर से अनौपचारिक सैक्टर, विनर्माण से सेवा, मजूदरी व्यवसाय से स्व–रोजगार) के बीच गतिशीलता। प्रवासन प्रतिमान के दायरे से गतिशीलता के इन रूपों के अपवर्जन से सैद्धांतिक एवं नीतिगत, दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। काम की दुनिया में लोगों के गमनागमन के अध्ययन के लिए अवधारणात्मक आधार को पुनः आकार देना शायद आज अनिवार्य हो गया है।

अवधारणा को पुनः आकार देने की आवश्यकता को देखते हुए श्रम प्रवासन प्रवाह का विश्लेषण विश्व के विभिन्न स्थानों और विभिन्न कालों में करना अभी भी महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास प्रवासन के बाहरी एवं आंतरिक, दोनों पैटर्नों के परिमाण के व्यापक क्रमों को मापने में सक्षम बनाएगा। यह प्रवासन प्रवाह के लैंगिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय संघटन में परिवर्तन और निरंतरता के मुद्दों का भी समाधान करेगा। इसके आलोक में प्रवासन प्रवाह की तीव्रता और विविधीकरण के मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है। यहाँ, इन प्रवृत्तियों और पैटर्नों को निर्धारित करने के लिए मैक्रो स्तर पर उपलब्ध डाटा स्रोतों को फिर से जांचना महत्वपूर्ण होगा। डाटा स्रोतों पर विचार–विमर्श गतिशीलता के अब तक अनछुए पहलुओं का पता लगाने के साथ–साथ ऐसी डाटा सृजन प्रणाली के डिजाइन में सुधार के लिए सुझाव की संभावनाओं को पैदा कर सकते हैं।

इसी संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह अध्ययन शुरु किया गया:

- आंतरिक प्रवासन के डाटा स्रोत, उनकी कमियां तथा उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जना चाहिए?
- भारत में आंतरिक प्रवासन के वर्तमान पैटर्न क्या हैं, तथा वे एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न हैं? क्या ये पैटर्न समय के साथ बदलते रहते हैं?
- आंतरिक प्रवासन के कौन से नये पैटर्न उभर कर आ रहे हैं?
- शहरी अनौपचारिक श्रम बाजार में प्रवासियों की जीवन एवं कार्यदशाएं कैसी हैं?
- प्रवासन और विकास के बीच क्या संबंध हैं?

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2017 में शुरु, एवं अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया था

¼ifj;kstuk fun'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk½

2- Hkkjr&[kkMh Je çoklu xfy;kj e ifjorlu% #>ku vkj fu/kkjd

भारत जैसी तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन, विशेषकर निम्न एवं मध्यम कौशलयुक्त श्रमिकों के प्रवासन काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मजबूत आर्थिक विकास के साथ घरेलू माध्यमिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। एक अतिरिक्त चालक तीव्र जनसांख्यिकीय संक्रमण है जिससे दुनिया में युवा आबादी का सबसे बड़े अनुपात में उदय हुआ। तथाकथित 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का अस्तित्व अपने युवा श्रम बल के उत्पादनकारी क्षेत्रों में नियोजन पर निर्भर करता है। हालांकि, भारत में विनिर्माण जॉब के सुस्त सृजन के साथ आबादी के निम्न कौशल आधार के कारण अवसरों की एकबारगी ऐतिहासिक खिड़की से पूरा फायदा उठाने के प्रयासों में गतिरोध का खतरा होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों का प्रवासन घरेलू स्तर के मैक्रो एवं माइक्रो प्रभावों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैक्रो स्तर पर, पिछले दो दशकों में कामगारों द्वारा बढ़ते धन–प्रेषण से देश को अपने बाहरी भंडार को स्थिर करने में मदद मिली है। माइक्रो घरेलू स्तर पर, गरीबी कम करने तथा प्रवासी परिवारों के शैक्षिक एवं स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में प्रवासन का काफी प्रभाव पड़ा है। कार्यबल के सापेक्ष निम्न कौशल स्तर के साथ देश की जनसांख्यिकीय संरचना को देखते हुए जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करने के साथ–साथ आबादी के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की आय एवं आजीविका संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन को बढ़ावा देना भारत के लिए अनिवार्य हो जाता है। प्रवासी श्रमिकों के कौशल उन्नयन के माध्यम से एक अतिरिक्त लाभ होगा, जिसका उपयोग उनके घर लौटने के बाद किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया:

- खाड़ी देशों को भारतीय श्रमिक प्रवाह के रुझानों एवं विशेषताओं में प्रमुख परिवर्तनों को चित्रित करना।
- भारत के साथ–साथ प्राप्तकर्ता देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन से संबंधित विनियामक ढांचों में परिवर्तनों की जांच करना।
- प्रवासन लागतों के घटकों का विश्लेषण करना तथा निम्न कौशल वाले प्रवासियों द्वारा किए गए कुल प्रवासन लागत का अनुमान लगाना।

- खाड़ी देशों में मांग जा रहे कौशल की बदलती संरचनाओं का आकलन करना।
- प्रवासन परिणामों में सुधार और प्रवासन–विकास संबंध को मजबूत करने के लिए नीति हस्तक्षेपों के सुझाव देना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2017 में शुरु, एवं मार्च 2018 में पूरा किया गया था

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyks½

tkjh ifj;kstuk,

1- jkstxkj dk u, :i% enn vkj ifjç{;

यह अनुसंधान अध्ययन श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्किंग के तत्वावधान में शुरु किया गया है। यह अध्ययन कार्य का भविष्य विषय के आईएलओ शताब्दी पहलों के तहत अवधारणाबद्ध है। इस अध्ययन में तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और रोजगार एवं रोजगार संबंधों के नए व्यापार मॉडलों के प्रभावों का विश्लेषण करेगा। इसमें संबोधित किए जा रहे विशिष्ट मुद्दों में ये शामिल हैं: रोजगार में नए रूपों की अवधारणा; रोजगार एवं रोजगार संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मैक्रो–आर्थिक नीति उत्प्रेरक (वित्तीय, प्रौद्योगिकीय आदि); रोजगार के नए रूपों से निपटने के लिए परंपरागत एवं मानक रोजगार संबंधों की क्षमताएं। इस अध्ययन का उद्देश्य अवसरों एवं रोजगार के नए रूपों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत रूपरेखा प्रदान करना है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को दिसम्बर 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे मई 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyks½

2- Hkkjr esa l{e ,o y?kq m|eksa ¼,e,lbZ½ esa xq.koÙkkiw.kZ jkstxkj dk l`tu% dk;Zuhfr ,o vkxs dh jkg

इस अध्ययन के उद्देश्यों में ये शामिल हैं: क) भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आकार, विशेषताओं एवं संरचना का विश्लेशण करना; ख) हाल के वर्षों में भारत में लघु उद्योगों की भूमिका का अध्ययन करना और एमएसई के रुझानों एवं अवसरों की जांच करना; ग) इस बात की जांच करना कि भारत में श्रम कानून एवं व्यापार का माहौल एमएसई के लिए कितनी सहूलियत देते हैं तथा एमएसई के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों की भी जांच करना; और घ) भारत में एमएसई सैक्टर में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन का समर्थन करने के लिए कार्यनीतियों की पहचान करना या सुझाव देना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2018 में शुरु किया गया था, एवं इसे अप्रैल 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- /kU;k ,e- ch-] ,lksf,V QSyks½

3- ;qok jkstxkj vkSj m|ferk dks c<+kok nsuk% ^LVkVZ&vIl^ ds fo'ks"k lanHkZ esa v/;;u

इस अध्ययन के उद्देश्यों में ये शामिल हैं: क) अनौपचारिक रोजगार के विशेष संदर्भ में भारत में युवाओं की कार्यबल भागीदारी के आकार एवं विस्तार को समझना; ख) यह समझना कि स्टार्ट–अप भारत के युवाओं में कैसा परिवर्तन लाते हैं; ग) भारत में स्टार्ट–अप की क्रियाविधि, विनियामक प्रक्रिया और चुनौतियों का अध्ययन करना; घ) क्या स्टार्ट–अप युवाओं के रोजगार के औपचारीकरण की विधि है और स्टार्ट–अप के साथ युवाओं का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन कैसे बदलता है; ङ) यह पता लगाना कि स्टार्ट–अप युवाओं के बीच रोजगार को कैसे बढ़ावा देते हैं।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे सितम्बर 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- /kU;k ,e- ch-] ,lksf,V QSyks½

çeq[k dk;Z'kkyk,@lEesyu

- ^Hkkjr esa jkstxkj l`tu uhfr;ka^ ij fopkj&eaFku l=

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 08 नवम्बर 2017 को संस्थान परिसर में ‘भारत में रोजगार सृजन नीतियां’ पर विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मंत्री जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का फल भोगने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार के सृजन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, इसने रोजगार सृजन के लिए समर्थकारी माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार ने कार्यबल के कौशलों के उन्नयन एवं उनकी नियोजनीयता के लिए अनेक नवाचारी पहल की हैं।

श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकार श्रम बाजार में नए प्रवेशकों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा

कि यह आईआर–4.0 के संदर्भ में खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वचालन कार्य एवं कार्य संबंधों को तेजी से प्रभावित कर रहा है।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने स्वागत भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तम एवं उत्पादक कार्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

श्रम एवं रोजगार अध्ययन के क्षेत्र से प्रसिद्ध विद्वानों, श्रम मुद्दों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, संस्थान की महापरिषद के सदस्यों और संकाय सदस्यों ने गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए इस विचार–मंथन सत्र में भाग लिया।

इस विचार–मंथन सत्र का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने किया।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार वीवीजीएनएलआई द्वारा आयोजित 'भारत में रोजगार सृजन नीतियां' पर विचार–मंथन सत्र के दौरान श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डॉ. एच. श्रीनिवास महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की उपस्थिति में संस्थान के कतिपय प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

—f"k lca/k vkSj xzkeh.k Je dsUnz

बदलते कृषि संबंधों एवं इनके ग्रामीण श्रमिकों पर प्रभाव का समाधान करने एवं इनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र की सथापना की गई। कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कृषि की स्थिति का पता लगाने एवं इसका अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करने के लिए ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनूकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ढाई दशकों से अधिक का अनुभव भी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र के सृजन का यह एक प्रमुख तर्काधार है।

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित हैं:

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव,
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां,
- संगठनात्मक कार्यनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार,
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम,
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

tkjh ifj;kstuk

1- d`f"k ladV rFkk lkekU;r% xzkeh.k Jfed ,oa fo'ks"kr% efgyk d`f"k Jfed

Ifj;kstuk ds mn~ns';

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- देश में वर्तमान कृषि स्थिति को समझना, उसकी समीक्षा एवं विश्लेषण करना;
- सामान्यतः ग्रामीण श्रमिकों एवं विशेषतः महिला कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जाँच करना;
- विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण/कृषि श्रमिकों की स्थितियों की योजनाओं तक ग्रामीण कामगारों की पहुंच तथा उन पर इन कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना;
- ग्रामीण कामगारों की शिक्षा एवं कौशल आधार का अध्ययन करना;

- अपनी खुद की समस्याओं एवं इन समस्याओं के समाधान के बारे में ग्रामीण श्रमिकों की राय एवं व्यवहार के पैटर्न की जाँच करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाना; और
- अध्ययन के आधार पर ग्रामीण श्रमिकों एवं महला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियों के सुझाव देना।

v/;;u dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे मई 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk fun'kd½ Mk- iue ,l- pkgku] ofj"B Qyk½

çe[k dk;'kkyk@lfeukj

- ^chMh lDVj l lcf/kr enn^ ij ,d dk;'kkyk

बीड़ी सैक्टर की समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान करने और इन मुद्दों के समाधान का पता लगाने के उद्देश्य से संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 15–17 फरवरी 2018 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला में कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों, चिकित्सा अधिकारियों, नियोजकों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के एक हिस्से के तौर पर ''बीड़ी सैक्टर के मुद्दों का समाधान करना–आगे की कार्रवाई'' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गयी।

jk"Vªh; cky Je lalk/ku dsUnz ¼,uvkjlhlh,y½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार,, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं का विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं: अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निश्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

vuqla/kku

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. बाल श्रम के विभिन्न रूपों, बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं, निर्धारकों एवं निवारकों का पता लगाने के लिए, किए गए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।
2. बाल श्रम के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों पर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।

3. उन भौगोलिक क्षेत्रों, जहां पर बाल श्रम का संकेंद्रण है तथा अर्थव्यवस्था के चुने हुए सैक्टरों, खासकर उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं, जो बच्चों के लिए खतरनाक हैं एवं कानून द्वारा निषिद्ध हैं, में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना ।
4. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां बनाना।
5. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिकों की कमजोरियां एवं असुरक्षिताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी रूपरेखा और कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दषाएं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

ijh dh xbl ifj;kstuk,a

1- fu"iknu dk ifj.kke dh leh{kk ,oa vkdyu% jk"Vh; cky Je ifj;kstuk ¼12oha iapo"khZ; ;kstuk vof/k½ dk eY;kadu

नीति–उन्मुख परियोजना मूल्यांकन अध्ययन करना तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब इन अध्ययनों का उद्देश्य न केवल संगठनों एवं संस्थानों, अपितु उन नीतियों एवं परियोजनाओं, जो बहुपक्षीय तरीकों से जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं, की भी जांच करके इनकी समाज के लिए 'प्रासंगिकता' प्राप्त करना है। इसके अलावा, किसी भी कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति–निर्माताओं को समय–समय पर उत्पन्न प्रगतिशील मांग के लिए कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक कमद उठाने में मदद करती है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति काफी गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण रही है और इसने भारत में नीति–निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बाल श्रम की मात्रा एवं व्यापकता विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न है, कुछ राज्यों में इसकी व्यापकता अधिक है जबकि अन्य राज्यों में यह तुलनात्मक रूप से कम है। बाल श्रम का फैलाव विभिन्न सैक्टरों में भी अलग–अलग है। उन प्रमुख सैक्टरों, जहां पर बाल श्रम अधिक मात्रा में है, को मुख्यतया कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग एवं अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

एनसीएलपी का यह मूल्यांकन अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है। इस मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थेः i) बाल श्रम की पहचान

करने, एसटीसी के माध्यम से उनका शैक्षिक पुनर्वास करने और उन्हें नियमित स्कूलों में मुख्यधारा में लाने में एनसीएलपी की भूमिका का आकलन करना; ii) खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों का पता लगाने एवं वहां से उनको मुक्त करने तथा कौशल प्रशिक्षण तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने में एनसीएलपी की प्रभावकारिता की जांच करना।

v/;;u dk 'k# ,o iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2017 में शुरु, एवं मई 2017 में पूरा किया गया।

ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk] Mk- ,yhuk lkerjk;] Qyk ,o Mk- fdx'kd ljdkj] Qyk½

2- ckxku lDVj e NkV ckxkuk e ikfjokfjd Je % nf{k.k Hkkjr d pfunk {k=k e efgykvk ,o cPPkk ij fo'k"k Qkdl d lkFk v/;;u

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे: i) छोटे बागानों में रोजगार के हिस्से के तौर पर महिलाओं एवं बच्चों सहित 'परिवार' के काम में लगने की प्रकृति एवं सीमा तथा उसके आर्थिक प्रभावों को समझना; ii) यह अध्ययन करना कि वे कौन से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ और कारक हैं जिनसे छोटे बागानों में अधिक पारिवारिक श्रम, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की अधिक भागीदारी होती है; iii) छोटे बागानों में पारिवारिक श्रम में लैंगिक स्थिति की जाँच करना; iv) यह जाँच करना कि पारिवारिक श्रम में बच्चों के काम में लगने से उनकी शिक्षा, कौशल विकास एवं आकांक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं; अ) यह समझना कि पारिवारिक श्रम को महिलाओं एवं बच्चों द्वारा कैसा मानते हैं तथा इससे कोई विशिष्ट सामाजिक संबंध बनता है/सुदृढ़ होता है कि नहीं; v) सामाजिक सुरक्षा उपायों की सीमा का पता लगाना और इस सैक्टर में श्रमिकों को संगठित करना; तथा vi) वस्तु व्यापार में छोटे व्यापारियों/उत्पादाकों के विकास, योगदान एवं उनकी द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की जाँच करना।

इस अध्ययन में यह पाया गया कि नीलगिरि और कुर्ग में छोटे उत्पादक मुख्य तौर पर पारिवारिक श्रमिकों प्रयोग करते हैं तथा दिहाड़ी मजूदरों का प्रयोग चाय बागानों में व्यस्ततम समय में तथा कॉफी बागानों में कटाई के व्यस्ततम समय में करते हैं। पारिवारिक भूमि धारण वाले बागानों में बच्चों द्वारा काम करने के मामले आजकल गिने–चुने हैं। अगली पीढ़ी षायद छोटे बागानों को रखने में रुचि न ले तथा यह अन्य वैकल्पिक आजीविका की तलाश में आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में चाय और कॉफी बागान किसी प्रकार से मोनोकल्चर वाले नहीं हैं बल्कि विविध फसलों एवं संबंधित कार्यकलापों का हिस्सा हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था केवल चाय या कॉफी की कीमतों पर निर्भर नहीं है। इस तरह के विविधीकरण के कारण प्राथमिक फसलों के उत्पादन में शामिल जोखिम कारक काफी हद तक कम हो गये हैं तथा यह पूर्वोत्तर में समान तरह के छोटे चाय उत्पादकों के विपरीत है। इस अध्ययन से यह अनुमान लगा कि छोटे बागानों में चाय या कॉफी का

उत्पादन करना फायदेमंद है हालांकि लाभ की मात्रा उतनी अधिक नहीं है। इसमें यह भी पता चला कि चाय के छोटे उत्पादकों के पास अपनी विनिर्माण सुविधाएं एवं खरीदी–पत्ती कारखाने नहीं हैं, वे अवसर का उपयोग करते हैं तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं। इस अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि सभी संबंधितों, विशेषकर छोटे उत्पादकों के लिए सहकारी उत्पादन इकाइयों की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता चेतना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि तोड़ी गयी हरी पत्तियों की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है। श्रमिकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है और अगली पीढ़ी द्वारा उदासीन होने के कारण यह कमी और बढ़ने वाली है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु, एवं अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fdaxq'kqd ljdkj] Qsyks½

3- Hkkjr esa cky Je dh fLFkfr ij jkT;&fof'k"V çksQkby fodflr djuk

भारत ने बाल श्रम के सभी प्रकारों के सतत उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 में अपनायी, बाल श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम में जुलाई 2016 में संशोधन किए तथा आईएलओ अभिसमयों 138 एवं 182 का अनुसमर्थन किया। हालांकि, बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा निरंतर कार्रवाई करने के बावजूद बच्चों द्वारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करना जारी है। प्राकृतिक आपदाओं एवं सामाजिक संघर्षों ने पहले से ही चले आ रहे जटिल एवं व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को और जटिल बनाया है जिससे बाल श्रम की निरंतरता बनी हुई है। बाल श्रम पर नियत्रण में सहायता के लिए एक साक्ष्य–आधारित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से देश के चयनित राज्यों में कामकाजी बच्चों की मात्रा एवं प्रोफाइल का विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, इस अध्ययन में कामकाजी बच्चों के प्रति प्रभावी अनुक्रिया सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसायटी एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बाल श्रम का व्यापक प्रोफाइल प्रदान करने का एक प्रयास किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में कामकाजी बच्चों के विभिन्न आयामों को निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट करना था: i) चयनित राज्यों में कामकाजी बच्चों के प्रोफाइल की स्थिति, ii) विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रम के विस्तार का अध्ययन, तथा iii) बाल श्रम से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी ढांचों और सांस्थानिक संदर्भों का आकलन करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2017 में शुरु, एवं जुलाई 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

4- cky JEk ij lexz dkuuh <kpk e cky Je ¼çfr"k/k ,o fofu;eu½ l'kk/ku vf/kfu;e] 2016 dk egRoi.k fo'y"k.k

भारत में मुख्य रूप से वयस्क श्रमिकों के रोजगार एवं वेतन को संरक्षित करने के उद्देश्य से बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी उपाय वर्ष 1881 में शुरु किये गये थे, हालांकि बाल श्रम की समस्या तब से ही है जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तथा मानव गरिमा एवं श्रम को सबसे सस्ती कीमत पर बिक्री योग्य वस्तु के रूप में माना जाना शुरु हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी में कई घटनाएं हुईं जिन्होंने बच्चों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन ला दिया। यह परिवर्तन मुख्यतः इस अहसास के साथ हुआ कि समाज बाल देखभाल की जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकता है तथा 'राज्य संरक्षण' के तहत कानूनी ढांचे के केंद्र में बच्चे आने शुरु हुए। बाल श्रम की रोकथाम के कानूनों की शुरुआत तथा अनिवार्य शिक्षा ऐसे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जिन्होंने बच्चों की कानूनी स्थिति को प्रभावित किया। जब बच्चों का श्रमिक शोषण आम हो गया तो बाल श्रम को एक सामाजिक समस्या मानना एवं इससे उनकी रक्षा करना सबसे मुख्य मुद्दा बना।

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) इन शोध अध्ययनों की प्रकृति और प्रयुक्त तरीकों, साधनों एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों को समझने के लिए बाल श्रम नीति और कानून पर शोध एवं अन्य साहित्य की पहचान एवं जांच करना; ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की खासियत का विश्लेषण करना; iii) संशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए श्रम प्रवर्तन तंत्र की मौजूदा क्षमता की जांच करना; iv) संशोधित अधिनियम में निषिद्ध खतरनाक व्यवसायों में बाल और किशोर श्रम का समाधान करने के लिए आवश्यक संरचना और तंत्रों का पता लगाना; और v) अनुसंधान निष्कर्ष एवं विश्लेषण का प्रलेखन करना तथा संस्तुति करना।

v/;;u dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे जून 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

5- çys[ku] fMftVyhdj.k ,o çlkj d ek/;e l cky Je d fu/kkjdk dk fu#) djuk ¼Qst&2½

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र बाल श्रम के उन राज्य–विशिष्ट मुद्दों, जिनके अकादमिक एवं विकासात्मक सोच, और नीति–निर्माण एवं विभिन्न समूहों के क्षमता–निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, पर सूचना एवं जानकारी को हासिल करने एवं उसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करना इस बात पर निर्भर करता है कि आंतरिक रूप से अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों को एनआरसीएल कितनी कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रक्रियारत करता है और बाल श्रम का समाधान करने के लिए यह कौशलों एवं देश और दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों से अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों का कितनी जल्दी फायदा उठाता है।

इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) गैर–किताबी डाटा बेस, स्कैन किए हुए प्रलेखनों आदि का एक स्थान पर संग्रहण करना, ii) मांगकर्ताओं को बाल श्रम और अन्य संबंधित विषयों पर सही सूचना प्रदान करना, iii) अभिदत्त एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त डाटाबेस का उपयोग करने के लिए आंतरिक के साथ–साथ बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रावधान करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे फरवरी 2018 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd½ Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

tkjh ifj;kstuk,a

1- jk"Vªh; cky Je ifj;kstuk ds çHkkoh dk;kZUo;u ds fy, ftyk&Lrjh; fgr/kkjdksa dk lonsnhdj.k djus ,oa mudh {kerk c<+kus gsrq pqfuank ftyksa esa cPpksa ds jkstxkj dk {ks=h; fo'ys"k.k

संसद द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को 22 जुलाई 2016 को संशोधित किया गया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 को 01 सितम्बर 2016 को अधिसूचित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य साहित्य की व्यापक समीक्षा करके तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियम के तहत संशोधित कानूनी प्रावधानों पर नियमों को तैयार करने के लिए देश भर में विभिन्न सामाजिक भागीदारों से नियमित आधार पर लिए गए विचारों, दृष्टिकोणों, सुझावों और टिप्पणियों का सार निकालते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, के तहत नियमों के निर्धारण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में कार्यक्रम प्रबंधकों, एनसीएलपी के परियोजना निदेशकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना, संशोधन अधिनियम एवं इसके प्रावधानों पर श्रम प्रवर्तन तंत्र को जागरूकता प्रदान करना तथा मसौदा नियमों पर बहु–सामाजिक भागीदारों के राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में योदान करना भी था। इसका उद्देश्य एनसीएलपी योजना के तहत बच्चों एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए डाटा संग्रहण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना भी है। यह परियोजना अपने विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से सीएलपीआर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उपायों, बाल श्रम की रोकथाम के लिए अन्य कार्यनीतियों के सुझाव देने के साथ ही कई तरह से योगदान देती है, जैसे तस्करी वाले एवं अंतर–राज्यीय प्रवासी बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की संस्तुति करना; बाल श्रम पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके तथा अधिक समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से बाल श्रम को रोकने एवं इस पर अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशल और

ज्ञान के साथ लैस करके जिला/राज्य स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सिफारिश करना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवम्बर 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे मई 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;ktuk fun'kd½ Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

Áe[k dk;Z'kkyk,@lfeukj

- भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति – रुझानों का मानचित्रण: बिहार के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन निष्कर्ष प्रसार कार्यशाला का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से 12 अप्रैल 2017 को पटना, बिहार में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बिहार के संदर्भ में अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार करना था ताकि बाल श्रम पर बिहार राज्य की कार्रवाई योजना को विकसित करने में नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिल सके। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री विजय प्रकाश, माननीय श्रम मंत्री, बिहार सरकार ने किया। श्री दीपक कुमार सिंह, मुख्य सचिव, एलआरडी, बिहार सरकार ने एक विशेष व्याख्यान दिया। श्री गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त, बिहार, वीवीजीएनएलआई से डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो और डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति थे।

श्री विजय प्रकाश, माननीय श्रम मंत्री, बिहार सरकार 'भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति–रुझानों का मानचित्रण' पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन पर कार्यशाला का आयोजन 08–09 मई 2017 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने में एनसीएलपी स्कीम की कारगरता की जांच करना, उत्तम प्रथाओं को साझा करना, जागरूकता सृजन के प्रभाव के साथ एनसीएलपी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना सोसायटी स्तर पर जिला परियोजना सोसायटी स्टाफ के इष्टतम उपयोग का आकलन करना था। इस कार्यशाला में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का कार्यान्वयन देख रहे 62 परियोजना निदेशकों, परियेजना प्रबंधकों एवं एनजीओ ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो, डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो तथा डॉ. किंगशुक सरकार, फेलो ने संयुक्त रूप से किया।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन पर कार्यशाला का उद्घाटन सत्र

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से 26 सितम्बर 2017 को माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय केंद्र (पीबीके) में राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा पेंसिल पोर्टल शुरु किया गया तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नोबेल

पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी तथा कई अन्य राज्य मंत्री, सरकारी अधिकारी, आईएलओ, यूनिसेफ, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस सम्मेलन के विचार–विमर्श में बाल एवं किशोर श्रम पर केंद्रीय कानूनों में संशोधन, खतरनाक व्यवसायों, प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन और आईएलओ अभिसमयों 138 एवं 182 के अनुसमर्थन के बारे में राज्य सरकारों, एनसीएलपी स्टाफ और अन्य हितधारकों के संवेदीकरण पर फोकस किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने 'बाल श्रम कानून के प्रवर्तन में मुद्देः वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की भूमिका' पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया।

राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन के अवसर पर श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री और श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति

राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन के तकनीकी सत्र में डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा अन्य अधिकारीगण

- ^jk"Vªh; cky Je ifj;kstuk dk çHkkoh dk;kZUo;u^ पर एक कार्यशाला का आयोजन 06–07 सितम्बर 2017 को किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) बाल श्रम सर्वेक्षण आयोजित करने एवं समन्वित करने के कौशल प्रदान करना; (ii) प्रतिभागियों को बाल श्रमिक परिवारों पर फोकस करने वाली विभिन्न स्कीमों के अभिसरण की क्षमताओं से लैस करना; (iii) एनसीएलपी की बहुपक्षीय कार्यनीति तथा एलएएल (पीआर) अधिनियम 1986 में संशोधनों की समझ विकसित करना। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों/राज्यों से 189 परियोजना निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में 'बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए बहु–हितधारकों का क्षमता निर्माण' पर मुख्य व्याख्यान डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने दिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो ने किया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन' पर प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य व्याख्यान देते हुए

jkstxkj lacaa/k vkSj fofu;eu dsUæ

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk

1- Hkkjr esa Je ç'kklu] Je fujh{k.k ,oa lkekftd laokn ij ekufp=.k v/;;u dh leh{kk ,oa la'ys"k.k

lnHkZ%

यह अध्ययन सामाजिक संवाद एवं श्रम प्रशासन पर चार प्रारंभिक मानचित्रण अध्ययनों पर आधारित है। ये अध्ययन चार राज्यों नामतः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में किये गये थे।

इस अध्ययन में भारत में जटिल कानूनी ढांचे तथा श्रम प्रशासन को मजबूत बनाने वाले संस्थागत तंत्र का पता लगाने का प्रयास किया गया। इस रिपोर्ट में पुरानी प्रबंधन प्रणाली सहित कमजोर संस्थागत क्षमता, कम स्टाफ एवं खराब समन्वय को मुख्य बाधाओं के तौर पर उजागर भी किया गया। विशेष रूप से यह स्पष्ट है कि भारतीय कार्यबल की अत्यधिक अनौपचारिक प्रवृत्ति खासकर श्रम निरीक्षण एवं प्रवर्तन के परिप्रेक्ष्य से अद्वितीय श्रम प्रशासन चुनौतियां पेश करती है।

इस अध्ययन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद से संबंधित मुख्य चुनौतियों के साथ–साथ किन्हीं अच्छी प्रथाओं के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद को मजबूत बनाने हेतु सिफारिश भी की गयी है। रिपोर्ट में आगे राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय संस्थागत तंत्रों यथा श्रम सलाहकार समिति, कल्याण बोर्ड, न्यूनतम मजूदरी बोर्ड और

औद्योगिक संबंध समिति के बारे में बताया गया है। इन संस्थागत तंत्रों द्वारा कई मामलों में पर्याप्त रूप से कार्य न करने के बावजूद इन्हें शासन के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

vu|l/kku v/;;u dk ifj.kke%

- पिछले ढाई दशकों में श्रम बल के अत्यधिक अनौपचारीकरण की अनुक्रिया में सरकार ने मुख्य रूप से राज्य–विशिष्ट कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया है। ये बोर्ड त्रिपक्षीय प्रकृति के हैं तथा इनका गठन तीन हितधारकों राज्य, नियोजक संगठन तथा ट्रेड यूनियन से बराबर संख्या में सदस्य लेकर किया जाता है।
- केरल के अलावा अन्य तीनों राज्यों में सामाजिक संवाद प्रभावी नहीं रहा है। केरल में त्रिपक्षीयता एवं मजूदर वर्ग एकता की अभी भी मजबूत संस्कृति है। बेहतर कार्य एवं जीवनदशाओं के साथ–साथ मजूदरी सुनिश्चित करने में यहां पर कार्यरत ट्रेड यूनियनें बहुत मुखर एवं प्रभावी हैं।
- केरल के अलावा अन्य तीनों राज्यों में विभिन्न सांविधिक एवं गैर–सांविधिक बोर्डों/समितियों ने एक निश्चित सीमा तक अपनी प्रभावकारिता खो दी है क्योंकि कुछ मामलों में ऐसे बोर्डों का पुनर्गठन लंबित रखा गया है तो कुछ अन्य मामलों में बार–बार अनुनय के बाद भी सदस्यों को नामित नहीं किया जा रहा है।
- केरल के अलावा अन्य राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पिछले ढाई दशकों में ट्रेड यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी आई है।
- राज्य मूल रूप से श्रम मानकों के नियामक के रूप में कार्य करने के बजाय पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- कुछ हद तक केरल के अलावा, सभी राज्यों में निरीक्षण तंत्र की कठोरता हाल के दिनों में मंद पड़ने के प्रमाण मिले हैं। यह अखिल भारतीय फिनॉमिना को हिस्सा है और नव–उदार आर्थिक वातावरण का परिणाम है। जहां एक राज्य औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में दूसरे राज्य से प्रतिस्पर्धा करता है और खुद को सस्ते श्रम गंतव्य के रूप में बेचने की कोशिश करता है।
- विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में भी क्षमता से काफी कम काम किया गया।
- श्रम प्रशासन स्वयं ही कुछ बाधाओं से ग्रस्त है। कार्य पूरा करने के लिए भौतिक अवरसंरचना एवं स्टाफ अपर्याप्त हैं। भौतिक अवरसंरचना एवं स्थान काफी सीमित हैं तथा ये अत्याधुनिक तकनीक/नवाचार से काफी कम हैं। औसतन 40 प्रतिशत मानव संसाधन रिक्त हैं।

- श्रम प्रशासन द्वारा सामना की जा रही तात्कालिक चुनौती यह है कि बढ़ते अनौपचारीकरण से कैसे निपटा जाएं? श्रम बल का अनौपचारीकरण अभी एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया लगती है।
- सुलह के लिए उठाये गये विवादों की संख्या पिछले वर्शों में काफी कम हो गयी है। द्विपक्षीय संवाद को त्रिपक्षीय संवाद पर तरजीह दी जा रही हैं। केंद्रीय उद्योग–व्यापी ट्रेड यूनियनों की जगह धीरे–धीरे इकाई–विशिष्ट यूनियन की गतिविधियां ले रही हैं।
- सभी चार राज्यों में उत्तम नौकरियों की काफी कमी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी, लंबे कार्यघंटे, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का विलयन, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव, स्पष्ट नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों का अभाव, लिखित अनुबंधों को समाप्त करना आदि से उत्तम नौकरियों की कमी स्वतः ही प्रकट होती है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया, एवं इसे दिसम्बर 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fdax'kqd ljdkj] Qsyks½

Tkkjh ifj;kstuk

1- fuf'pr&vof/k jkstxkj dk fofu;eu% ,d varj&ns'kh; ifjçs{;

lanHkZ

पिछले काफी समय से व्यक्तियों को निश्चित–अवधि संविदा (एफटीसी) के आधार पर रखे जाने का प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी रहने वाली है। एफटीसी में कामगारों को उनके रोजगार की समाप्ति के संदर्भ में निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि आम तौर पर एफटीसी की अंतिम तिथि को रोजगार की समाप्ति के लिए नियोक्ता द्वारा कोई कारण नहीं बताये जाते हैं। अतः चिंता का विषय यह है कि निश्चित–अवधि संविदा की अनिश्चित प्रकृति के कारण रोजगार संबंधी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे यथा रोजगार संबंधी असुरक्षा, कार्यदशाओं एवं सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में नियमित एवं अनियमित कामगारों के बीच असमानता का बढ़ना तथा बढ़ता तनाव आदि उभर कर आते हैं। इन सभी पहलुओं का उपयुक्त समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए निश्चित–अवधि संविदा रोजगार पर किसी भी विनियामक नीति में एक ओर कामगारों के सामाजिक संरक्षण तथा दूसरी ओर श्रम बाजार की लोचशीलता में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हालांकि, यह विनियमन विभिन्न देशों में व्यापक तौर पर भिन्न–भिन्न है। इस संदर्भ में, भारत में एक उपयुक्त विनियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से उपयुक्त सबक लेने के लिए विश्व के

विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की विनियामक नीतियों एवं प्रथाओं की पहचान करना एवं समझना रोचक होगा।

v/;;u dk y{; ,oa mn~ns';

इस अध्ययन का लक्ष्य उपयुक्त नीतिगत सबक लेने के लिए चयनित देशों में निश्चित–अवधि संविदा रोजगार के विभिन्न पहलुओं के विनियमन से संबंधित नीतियों एवं प्रथाओं की मुख्य विशेषताओं को पहचानना एवं समझना है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

i) अनियमित अथवा निश्चत–अवधि संविदा प्रथा के ऐतिहासिक विकास का पता लगाना।

ii) निश्चत–अवधि संविदा प्रथा के प्रमुख विशेष गुणों एवं विशेषताओं की पहचान करना।

iii) चयनित देशों में निश्चित–अवधि संविदा रोजगार के विभिन्न पहलुओं के विनियमन से संबंधित नीतियों की पहचान करना एवं उनका विश्लेषण करना।

iv) चयनित देशों में निश्चित–अवधि संविदा रोजगार के विभिन्न पहलुओं के विनियमन, खास तौर से निश्चित–अवधि संविदा रोजगार संबंधी मौजूदा विनियमन से संबंधित प्रथाओं की पहचान करना।

v) भारत के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैारी करने की दृष्टि से इन विनियामक नीतियों एवं प्रथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को अगस्त 2017 में शुरु किया गया, एवं इसे जुलाई 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- lat; mik/;k;] Qsyk½

çeq[k dk;Z'kkyk

- विभिन्न श्रम कानूनों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए हालिया संशोधन' पर एक कार्यशाला का आयोजन 22–23 फरवरी 2018 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरु की गयी उत्तम पहलों तथा सुधार के अन्य उपायों एवं अनुकरणीय प्रथाओं को साझा करना था। श्री सुरेंद्र नाथ, भूतपूर्व मुख्य श्रम आयुक्त तथा भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार ने इस कार्यशाला में उद्घाटन व्याख्यान दिया। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र सरकार द्वारा

श्रम कानूनों में किए गए हालिया संशोधनों, श्रम सुविधा पोर्टल की मुख्य विशेषताओं, विभिन्न श्रम संहिताओं के मसौदों की विशेषताओं तथा दिल्ली सरकार की सुधार पहलों पर फोकस किया गया।

दूसरे दिन, चर्चा श्रम कानूनों में राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों तथा उनके द्वारा उठाये गये अन्य सुधार उपायों पर केंद्रित रही। इस कार्यशाला में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों, मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र की अध्यक्षता सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 'श्रम कानूनों में हालिया संशोधन' पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

,dhd`r Je bfrgkl vuqla/kku dk;ZØe ¼vkbZ,y,pvkjih½

,dhd`r Je bfrgkl vuqla/kku dk;ZØe% ifjp;

- वीवीजीएनएलआई में आईएलएचआरपी की स्थापना 24 जुलाई 1998 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर की गयी। इस एमओयू का नवीकरण हर पाँच वर्ष में किया जाता है, पिछली बार यह नवीकरण 2015 में किया गया है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

dk;ZØe dh lajpuk

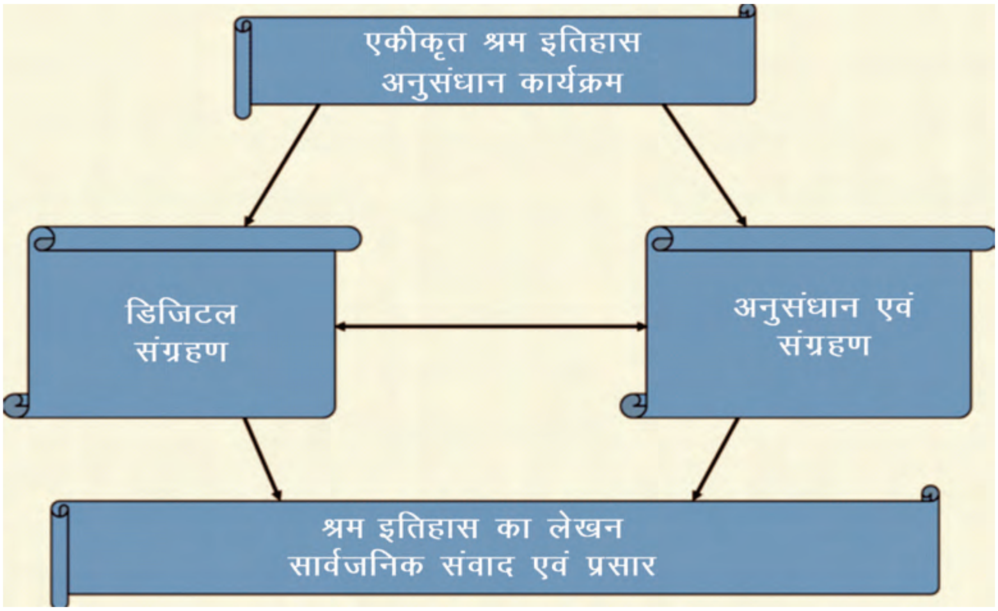

Hkkjrh; Jfedksa dk fMftVy vfHkys[kkxkj dh fo'ks"krk,¡

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- सवंर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

ijh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- Hkkjrh; Je lEesyu nLrkostksa dk vuqlaèkku ,oa laxzg.k] 1942&2016

भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) एक त्रिपक्षीय परामर्शी निकाय (सरकार, नियोक्ता संघ एवं ट्रेड यूनियन सहित) है तथा यह श्रम नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार द्वारा ली गयी प्रमुख नीतिगत पहलें यथा न्यूनतम मजूदरी, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आदि आईएलसी की सिफारिशों के अनुसार परिणाम हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन अपने त्रिपक्षीय स्वरूप में 1942 से ही अस्तित्व में है जब डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब तक आईएलसी के 46 सत्र आयोजित किये जा चुके हैं।

यह परियोजना निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से शुरु की गयी:

क) आईएलीसी, 1942–2016 की कार्यवाहियों का संग्रहण

ख) एसएलसी, 1942–2016 की कार्यवाहियों एवं कार्यवृत्त का संग्रहण

ग) राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों की कार्यवाहियों का संग्रहण

2- vukSipkfjd lSDVj ds dkexkjksa dk ekSf[kd bfrgkl

भारत में अनौपचारिक सैक्टर की व्यापकता को देखते हुए अनियंत्रित कामगारों का अध्ययन आईएलएचआरपी का एक प्रमुख सरोकार रहा है। इसकी अनेकों संग्रहण एवं अनुसंधान परियोजनाओं में विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में असंगठित सैक्टर के कामगार प्रमुख रहे हैं। वर्तमान में, हमारे पास अनौपचारिक कामगारों से संबंधित श्रव्य–दृश्य सामग्री उपलब्ध है। भारत के अदृश्य कार्यबल को सामने लाने में मौखिक इतिहास एवं जीवन इतिहास दृष्टिकोण महत्वपूर्ण विधि रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान आईएलएचआरपी ने या तो अकेले या फिर अन्य संस्थानों एवं विद्वानों के साथ मिलकर अनुसंधान परियोजनओं के माध्यम से अनौपचारिक कामगारों के जीवन इतिहास/मौखिक इतिहास का एक विशेषीकृत अभिलेखीय संग्रहण शुरु किया है।

विशेष तौर पर दिल्ली–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीवन इतिहास दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कुल 20 जीवन इतिहासों का संग्रहण किया गया है।

3- Jh txthou jke ds dk;Zdky ij Qksdl ds lkFk nfyr ,oa Jfed vkUnksyu dk laxzg.k

श्री जगजीवन राम, आजाद भारत के पहले श्रम मंत्री थे तथा शुरुआती वर्षों में उनके नेतृत्व में वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा शुरु किये गये कार्यों को और मजबूती प्रदान की गयी तथा न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफओ एवं ईएसआईसी से संबंधित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा विधान पारित किये गये। वर्ष 2017–18 के दौरान श्री जगजीवन राम के भाषणों, लेखों एवं सरकारी दस्तावेजों का व्यापक संग्रहण किया गया तथा इसका अब डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

4- vUrjk"Vªh; Je laxBu dk bafM;k vkWfQl dh ekfld fjiksVZ 1929&1969

भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है तथा आईएलओ का इंडिया ऑफिस दिल्ली में 1929 से काम कर रहा है। आईएलओ के दिल्ली ऑफिस ने भारतीय श्रम परिदृश्य और सामाजिक एवं आर्थिक नीति के मुद्दों पर व्यापक मासिक रिपोर्टें तैयार कीं। ये मासिक रिपोर्टें हमें इस अवधि के दौरान अधिनियमित कानूनों, सरकारी नीति एवं अन्य सरकारी सामग्री, ट्रेड यूनियनों या राजनैतिक आंदोलनों के बारे में पर्यावलोकन प्रदान करते हैं। यह संग्रहण शोध कर्ताओं एवं नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण डाटाबेस है। 1929–1969 की अवधि का यह महत्वपूर्ण संग्रहण आईएलएचआरपी द्वारा अब प्राप्त हुआ है तथा इसका डिजिटलीकरण किया गया है।

5- Hkkjrh; Je vfHkys[kkxkj dk rduhdh mUu;u

डिजिटल अभिलेखन की प्रक्रिया में व्यापक तकनीकी अवरोधों के कारण बाधा आ रही है। पूरे विश्व में लाखों दस्तावेजों, पुस्तकों एवं संस्थागत संग्रहणों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है तथा इसे पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है। डिजिटल भंडारण क्षमता की लागत में कमी तथा तकनीक में तीव्र परिवर्तनों (क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनलिटिक आदि) के चलते इसकी बहुत बड़ी मात्रा आईएलएचआरपी के लिए व्यापक चुनौती के साथ–साथ अवसर प्रदान करती है।

जेएसी की 29वीं बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा यह निश्चय किया गया कि अभिलेखागार की दीर्घकालिक स्थायित्व के उद्देश्य से इसे नये प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए आईएलएचआरपी को अभिलेखागार के पुनर्व्यवस्थापन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए इसकी व्यापक समीक्षा शुरु करनी चाहिए।

इस संबंध में 2017–18 के दौरान शुरु किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

5-1- xzhuLVksu dk Mh Lisl esa rduhdh mUu;u ,oa lq/kkj

अभिलेखागार को डी स्पेस में अंतरित करना जिससे मौजूदा ग्रीनस्टोन हमें अभिलेखागार को और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने में तथा इसे अनुरक्षित एवं अद्यतन करने में आसान बनाता है।

इस सॉफ्टवेयर को डी स्पेस में अंतरित करने के विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैं: क) यह आईएलएचआरपी अभिलेखागार की आवश्यकता को पूरा करने में पूरी तरह से अनुकूलन–योग्य है; ख) यह टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेज, मूविंग इमेजेज, एमपीईजी तथा डाटा सेट सहित सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री को परिरक्षित करता है तथा इस तक पहुंच को आसान एवं खुला बनाता है, जो ग्रीनस्टोन में संभव नहीं था। यह बहुत अधिक आवश्यक था क्योंकि पाठ्य से लेकर दृश्य सामग्री का हमारा संग्रहण बढ़ रहा है; ग) इसका उपयोग उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, जिनके लिए यह शुरु में विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग राज्य अभिलेखागार, संग्रहालय, राज्य एवं राष्ट्रीय पुस्तकालयों, पत्रिका भंडार–गृहों, संघों (कंसोर्टियम) एवं व्यापारिक कंपनियों द्वारा अपनी डिजिटल परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए किया गया है। इसके मौजूदा उपयोगकर्ताओं में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, गोखले राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र संस्थान, आईआईटी रुड़की, तथा कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तृत डाटाबेस, कृषि कोष हैं।

हमने डी स्पेस को स्थापित किया है तथा इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विन्यस्त करने की प्रक्रिया में हैं। हमने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया है तथा वे नये सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं और हमने अपनी सामग्री का नये प्लेटफॉर्म में अंतरित करना शुरु कर दिया है।

5-2- igy l ekt n lxg.k dk iu% Ldu djuk rFkk u; lxg.k dk fMftVyhdj.k

जैसा कि स्पष्ट है, उन्नयन एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसमें पहले के फॉर्मेट, जिसके माध्यम से अभिलेखीय सामग्री का डिजिटलीकरण किया गया था, में पुनः काम करने की आवयकता होती है। मुख्यतः इसमें दो कार्य करने होते हैं।

- ### ekud Vhvkbl,Q,Q QkeV e iu% Ldu djuk

हमें पहले से मौजूद सामग्री में से कुछ को अधिमानित रेजलूशन (300 डीपीआई) में पुनः स्कैन और फिर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सहेजना पड़ा। इसकी आवश्यकता प्रमुख डिजिटल सामग्री के फॉर्मेट के मानकीकरण की आवश्यकता के कारण पड़ी। पहले के फॉर्मेट जीआईएफ और जेपीईजी (उनके अपव्ययी संपीड़न के कारण) को विश्व डिजिटल अभिलेखीय मानकों के बराबर का नहीं समझा गया। इसके साथ–साथ हमें उस सॉफ्टवेयर, जो दस्तावेज को पूर्ण पाठ–खोजने योग्य बनाता है, का उपयोग करके इसे पीडीएफ के रूप में स्कैन करना पड़ा और सहेजना पड़ा। इसके लिए हमने हाल ही में एबीबीवाई फाइन रीडर खरीदा है जो टीआईएफएफ इमेज से ओसीआर टेक्स्ट बनाता है तथा पीडीएफ डिजिटल प्रतियाँ भी बनाता है जिन्हें ऑनलाइन वितरित किया जा सकता है। यह कंप्यूटर द्वारा किसी मुद्रित या लिखित पाठ की पहचान को सक्षम बनाता है। इसमें वर्ण–दर–वर्ण पाठ की फोटो स्कैनिंग, स्कैन की गई इमेज का विश्लेषण, और उसके बाद वर्ण इमेज का वर्ण कोड में अंतरण शामिल है। इससे सामग्री को किसी विशेष दस्तावेज में खोजना संभव हो जाता है।

- ### foLr`r eVk MkVk l`tu

डी स्पेस प्लेटफॉर्म में संक्रमण के साथ मौजूदा मेटा डाटा को डबलिन कोर इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेटाडाटा मानक का उपयोग करके संगत बनाया जाना है। यह वर्तमान में सभी संग्रहों के लिए किया जा रहा है।

6- Je bfrgkl y[ku

श्रम इतिहास लेखन आईएलएचआरपी का एक प्रमुख हिस्सा है। यह इस कार्यक्रम के तहत किए गए अनुसंधान एवं संग्रहण कार्यकलापों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है। 2017–18 की अवधि के दौरान चार प्रमुख लेखन परियोजनाएं पूरी की गईं। इनमें से दो को प्रकाशित किया जा चुका है तथ अन्य दो प्रकाशनार्थ तैयार हैं।

- ग्लोबल लेबर हिस्ट्रीः टू एस्सेज़ – मार्कल वान डर लिंडेन, एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं. 125/2017 के तौर पर प्रकाशित
- इंडियन माइग्रेंट लेबरर्स इन साउथ–ईस्ट एशियन एंड असम प्लांटेशंस अंडी दि ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम – राणा पी. बहल, एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं. 125/2017 के तौर पर प्रकाशित
- मेकिंग ऑफ दि वेज़ पॉलिसी इन लेट कॉलोनियल बॉम्बेः वेज़ एरियर्स एंड लेबर लेजिस्लेशन, आदित्य सरकार, 2017–18 में एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के तौर पर प्रकाशनार्थ
- पोस्ट कॉलोनियल मोबिलिटीः माईग्रेशन एंड डोमेस्टिक वर्क, कंटेम्परेरी कोलकाता, समिता सेन, 2017–18 में एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के तौर पर प्रकाशनार्थ

श्रमिक इतिहास पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरिअंस के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 26–28 मार्च 2018 के दौरान 'श्रमिक इतिहास पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत सहित दुनिया के 10 देशों के श्रमिक इतिहास के 80 प्रसिद्ध विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान लगभग 34 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए गए तथा उन पर चर्चा की गयी।

इस सम्मेलन का मुख्य विषय था "विगत के आइने में काम का भविष्य"। इस सम्मेलन में संभावित भावी प्रवृत्तियों एवं नीति सूचकों के आलोक में विगत एवं वर्तमान में काम के बदलते प्रकारों एवं कार्य संबंधों के साथ प्रौद्योगिकी के संबंध पर फोकस किया गया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई श्रमिक इतिहास पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उदघाटन व्याख्यान देते हुए

Çyx ,o Je v/;;u dn

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं। भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन में तथा वास्तव में सतत विकास को पाने में वर्ष 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतर विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सी. मित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता, नीतियों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं रम अध्ययन केंद्र के कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे। इस रूपरेखा के तहत केंद्र की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को लिंग एवं श्रम बाजार के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- dk;ZLFky ij ;kSu mRihM+u dh jksdFkke ij çf'k{kdksa dk çf'k{k.k ekWM~;wy

mn~ns';%

मॉड्यूल 1: यौन उत्पीड़न को समझना

मॉड्यूल 2: यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वैश्विक पहल

मॉड्यूल 3: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम में राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं

मॉड्यूल 4: कार्य की दुनिया में यौन उत्पीड़न को रोकना

मॉड्यूल 5: आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति के प्रभावी कार्यचालन की ओर

मॉड्यूल 6: कार्य की दुनिया में सतत समावेशी वातावरण का निर्माण

मॉड्यूल 7: अच्छी प्रथाएं

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke%

वर्तमान मॉड्यूल महिलाओं के लिए कल्याणकारी इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक प्रयास है और यह यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मौजूदा तंत्र पर नियोक्ता के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। यह माना जाता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने में कम शिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाएं अधिक विश्वास रखती हैं और शैक्षिक स्थिति में सुधार के साथ महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में उनके द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय को व्यक्त करने में अधिक आत्मविश्वासी बन जाती हैं। इसलिए, कार्यस्थल में कदाचार के इस वीभत्स रूप से महिलाओं की रक्षा करने के लिए कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न समिति का गठन अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इससे न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सेवा पर प्रभाव पड़ता है अपितु कार्यस्थल की संस्कृति और छवि भी प्रभावित होती है। इस मॉड्यूल में जमीनी स्तर तक पहुंचने में प्रशिक्षुओं के लाभ के लिए एक ही स्थान पर सारी जानकारी है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को मई 2016 में शुरु, एवं अगस्त 2017 में पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- 'kf'k ckyk] Qsyks½

2- fMftVy [kkbZ dks de djus ds fy, vkbZlhVh vfuok;Zrk,% ySafxd ifjizs{;

mn~ns';%

- उन सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक बाधाओं का अध्ययन करना जो यौन उत्पीड़न को समझना जो आईसीटी उद्योग में महिला कर्मचारियों के प्रवेश में बाधक हैं।
- महिलाओं के विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार अथवा व्यावसायिक अवसर प्रदान करने में आईसीटी की भागीदारी का आकलन करना।
- आईसीटी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं यथा कार्य, जीवन संतुलन का प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रभाव, रात की पाली में काम करना आदि का विश्लेषण करना।
- आईसीटी नीतियों या कार्यनीतियों के लिए सुझाव देना, यह भारत के विकास में लिंग को मुख्यधारा में लाने में सहायक होगा।

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke%

'शिक्षा और कार्यजगत में अंतरालः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य'' पर अध्ययन के उपरांत यह अनुसंधान कार्य, उन उभरते मुद्दों, जो कार्यजगत में महिलाओं की सहभागिता बढ़ा सकते हैं, को उजागर करने तथा यह पता करने कि कार्यबल में महिलाओं के बेहतर एकीकरण के लिए कैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में समर्थकारी माहौल है, की दिशा में अगला कदम है। इस संदर्भ में वर्तमान अध्ययन निम्नलिखित व्यापक विषयों के साथ प्रस्तावित हैः—उन सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक बाधाओं का अध्ययन करना जो यौन उत्पीड़न को समझना जो आईसीटी उद्योग में महिला कर्मचारियों के प्रवेश में बाधक हैं; महिलाओं के विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करना; आईसीटी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं यथा कार्य, जीवन संतुलन का प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रभाव, रात की पाली में काम करना आदि का विश्लेषण करना; ऐसी आईसीटी नीतियों या कार्यनीतियों के लिए सुझाव देना जो भारत के विकास में लिंग को मुख्यधारा में लाने में सहायक होगा।

v/;;u dks 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2016 में शुरु, एवं जून 2017 में पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- 'kf'k ckyk] QSyks½

3- ?kjsyw dkexkj% jkstxkj lac/k rFkk U;wure osru fu/kkj.k dh tfVyrk

mn~ns';%

- अंशकालिक एवं पूर्णकालिक रोजगार में लगे घरेलू कामगारों की रोजगार की शर्तें एवं काम की दशाएं (घरेलू रोजगार में व्यापक अर्थ रोजगार संबंध)

- ऐसे कामगारों की लामबंदी और भेद्यता की सीमा (ऐसे कामगारों की पहचान भी)
- घरेलू कामगारों के लैंगिक आयाम
- मुआवजे के तरीके (न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में समस्याएं)
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण तथा फलस्वरूप घर को कार्यस्थल एवं घर के मालिक को नियोक्ता मानने की समस्या
- घरेलू कामगारों के कल्याण बोर्ड की व्यवहार्यता

vuql/kku v/;;u ds ifj.kke%

- दो शहरों में घरेलू कामगारों की कार्य एवं जीवन दशाओं की जांच करना।
- समानताओं एवं विविधताओं की व्याख्या करना।
- ऐसे आधार का निर्माण करना जिससे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सके।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2017 में शुरु, तथा जुलाई 2017 में तक पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fdx'kqd ljdkj] Qyks½

4- de etnjh vkj yfxd HknHkko% vle vkj if'pe cxky e ckxku dkexkjk dk ekeyk

mnn's;%

इस अध्ययन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाएगाः

1. वे श्रम बाजार संस्थान कौन–से हैं जो पूर्वोत्तर भारत में बागान कामगारों के लिए इस तरह की कम मजदूरी और खासकर महिला कामगारों के लिए मुआवजे में भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं।
2. इन संस्थानों (संगठनों और गतिविधियों) के कार्य क्या हैं जो वर्षों से कम मजदूरी और लैंगिक भेदभाव की निरंतरता को बनाए हुए हैं।
3. मजदूरी, कार्यदशाओं और चाय उद्योग में उत्पादन के संबंधों के मामले में ऐसे खंडित श्रम बाजारों के नतीजे क्या हैं?

vuql/kku v/;;u ds ifj.kke%

- पश्चिम बंगाल में बागान कामगारो की दैनिक मजदूरी की दरें दक्षिण भारत के चाय बागानों के कामगारों की दैनिक मजदूरी दरों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र की न्यूनतम मजूदरी की तुलना में काफी कम हैं।

- पश्चिम बंगाल में मौजूद कतिपय श्रम बाजार संस्थान ऐसे निराशाजनक और गैर समावेशी श्रम बाजार परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्राथमिक स्तर से परे शिक्षा का अभाव, क्षेत्रों का सापेक्ष पिछड़ापन, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की लगभग नगण्य उपस्थिति, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बागान कामगारों की मांग में कमी कुछ ऐसे औद्योगिक कारक हैं जो पश्चिम बंगाल में बागान क्षेत्रों के समावेशी विकास में कुल कमी के लिए जिम्मेदार हैं।
- इसके अलावा, प्रचलित मजूदरी के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव को इस अर्थ में कायम रखा जा रहा है कि आश्रितों की परिभाषा पुरुष एवं महिला कामगारों के लिए अलग है। पुरुष कामगारों के लिए काम न करने वाली पत्नी और माता–पिता आश्रित हैं। महिला कामगारों के लिए काम न करने वाले पति और उनमे माता–पिता को आश्रित नहीं माना जाता है। चूंकि कुल मुआवजा नकद एवं गैर–नकद घटकों का योग होता है, महिला कामगारों के लिए कम गैर–नकद घटक का तात्पर्य है कि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं, महिला कामगारों के लिए मुआवजा पुरुष कामगारों की तुलना में कम है। यह समान कार्य के लिए समान मजूदरी के सिद्धांत और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की भावना का उल्लंघन करता है।
- इस अध्ययन से उभरने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत अनिवार्यताएं हैं: कुल न्यूनतम मजूदरी अधिसूचना प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर बागान मजूदरी का पुनः प्रवर्तन करना एवं लैंगिक भेदभाव पहलू का हटाना तथा राज्य को इस क्षेत्र के साथ–साथ उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है, इससे अधिक जुड़ाव प्रभाव पड़ेगा।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2017 में शुरु, तथा अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया था।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- fdx'kd ljdkj] Qyk½

5- iokÙkj Hkkjr e efgyk dkexkjk d vokrfud dk;l ,o le; mi;kx iVu% f=ijk d fo'k"k lnHk e

mnn';%

- पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल की जांच करना।
- त्रिपुरा में महिलाओं के रोजगार की गतिकी को समझना।
- शिक्षा एवं श्रम बल प्रतिभागिता के बीच संबंधों का पता लगाना।
- सवेतन रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में बाधक कारकों का विश्लेषण करना।

- श्रम के घरेलू विभाजन के संदर्भ में महिलाओं के अवैतनिक कार्य को समझना जिससे सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों जाति संबद्धता, जातीय पहचान आदि की भूमिका का पता लगाया जा सके।
- रोजगार गारंटी योजनाओं जैसे मौजूदा सामाजिक संरक्षण प्रावधानों तक महिलाओं की पहुंच की जांच करना तथा महिलाओं के जीवन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के रोजगार एवं कल्याण के लिए उपयुक्त नीतियों पर चितंन करना।

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke%

इस अध्ययन ने शिक्षा और रोजगार के संबंधों का विश्लेषण करने के साथ त्रिपुरा में महिलाओं के रोजगार की स्थिति को समझने में योगदान दिया है। इसने त्रिपुरा में महिलाओं के अवैतनिक काम और समय–उपयोग पैटर्न पर गहन विश्लेषण भी प्रदान किया है। मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी का आकलन उन बाध्यकारी कारकों की पहचान के संबंध में किया जाता है जो महिलाओं को प्रदत्त रोजगार में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करते हैं। इस अध्ययन में महिलाओं के अवैतनिक कार्य को मान्यता देने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की भी सिफारिश की गयी है ताकि वे लाभकारी रोजगार में योगदान दे सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान, राष्ट्रीय लेखांकन आंकड़ों में महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को लेना, देखभाल कार्य के सार्वजनिक प्रावधान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बेहतर अवसंरचना, प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि के संबंध में प्रमुख नीतिगत पहलों के रूप में हस्तक्षेप उभरे हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

v/;;u dk ’kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु, तथा फरवरी 2018 में पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs’kd½ Mk- ,yhuk lkerjk;] QSyks½

Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk

1- d`f"k {ks= esa ;qok jkstxkj dh lEHkkouk,¡ ,oa vkSj pqukSfr;k¡

mn~ns’;

- भारत में विभिन्न आयु–वर्गों में कृषि में रोजगार के रुझानों को समझना।
- कृषि के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में उनकी शिक्षा और कौशल–स्तर, उनके परिसंपत्ति अधिकार और सामाजिक समूह वर्गीकरण का आकलन करना।
- युवाओं के कृषि से दूर होने के कारणों की पहचान करना।

- भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच के संबंध में कृषि में युवा महिलाओं की स्थिति को आकलन करना।
- खेतों के आकार की उत्पादकता के विभिन्न संदर्भों में कृषि में श्रम मांग को निर्धारित करने वाले कारकों की पहचान करना।
- समग्र रोजगार क्षमता और विभिन्न कृषि विस्तार सेवाओं के बारे में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रभाव का आकलन करना।
- कृषि को बढ़ावा देने केलिए विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं की जांच करना और ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य से उनका विश्लेषण करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2018 में शुरु किया गया, तथा इसे जून 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,yhuk lkarjk;] QSyks½

çeq[k dk;Z'kkyk

vrjk"Vªh; efgyk fnol ds volj ij 08 ekpZ 2018 dks ^efgyk l'kfDrdj.k* fo"k; ij dkO;&ikB dk vk;kstu

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च 2018 को 'महिला सशक्तिकरण' विषय पर काव्य–पाठ का आयोजन किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए समाज में लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डाला। काव्य–पाठ की शुरुआत करते हुए डॉ. हरीश अरोड़ा ने अपनी कविता 'नारी शक्ति है नया विधान' के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के साथ सम्मान एवं समानता की आकांक्षा पर बल दिया ताकि नारी वास्तव में सशक्त हो सके। इसी तरह, डॉ. सविता जैमिनी ने 'बेटियाँ' के माध्यम से नारी की गरिमा तथा श्रीमती संयोगिता ध्यानी ने 'जीवन का नया रूप' के माध्यम से सफलता के लिए स्त्री–पुरुष के सामूहिक उत्तरदायित्व को उजागर किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया तथा अनेक कर्मचारियों ने काव्य–पाठ के विषय 'महिला सशक्तिकरण' पर बहुत ही अच्छे ढंग से कविताएं सुनाईं। इस अवसर पर महिला कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह भी प्रदान किए गए। पहले संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संस्थान की वरिष्ठतम महिला सदस्य डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो को स्मृति–चिन्ह प्रदान किया, फिर अन्य सभी महिला कर्मचारियों एवं अतिथियों को स्मृति–चिन्ह डॉ. पूनम एस. चौहान

द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समन्वय श्री बीरेंद्र सिंह रावत, व. हिं. अनुवादक एवं डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए एवं स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए

पूर्वोत्तर केंद्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषय:

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवास एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण

- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

dn ds çe[k çf'k{k.k fo"k;

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,

1- iokZÙkj Hkkjr eas Je cktkj ,oa lkekftd lja{k.k

mn~ns';

इस अध्ययन का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में श्रम बाजार की प्रवत्तियों की जांच करना तथा पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक संरक्षण योजनाओं पर भी प्रकाश डालना है। यह अध्ययन साहित्य, दस्तावेजों, सर्वेक्षणों तथा संबद्ध रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित है।

vuqla/kku v/;;u ds ifj.kke%

इस अध्ययन में पूर्वोत्तर भारत में श्रम बाजार की प्रवत्तियों की जांच की गयी तथा पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक संरक्षण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गयी सामाजिक संरक्षण योजनाओं पर प्रकाश डाला गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया, तथा इसे जुलाई 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- vkrk thr {kf=e;e] ,lksf,V Qsyks½

2- e[; Je vk;Dr ¼dsanh;½ ds dk;kZy; dh ;kstukxr Ldhek dh ifj.kkeh leh{kk

mn~ns';

इस अध्ययन का मूल उद्देश्य केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) अर्थात बेहतर सुलह एवं निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, सीएलसी (सी) एवं आरएलसी (सी), नई दिल्ली के कार्यालयों के लिए संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी योजनागत स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन करना है।

इस अध्ययन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं:

i) उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में सफलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन करना

ii) दिशा–निर्देशों/स्कीमों में संशोधन की आवश्यकता के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, तथा

iii) मौजूदा प्रक्रिया की जांच करना और इसमें सुधार के तरीकों के सुझाव देना।

यह परियोजना मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा सौंपी गयी।

dk;Zç.kkyh

यह अध्ययन उद्देश्य आधारित मूल्यांकन अध्ययन है। यह योगात्मक है अर्थात इसमें चल रही दो स्कीमों से दृष्टांत लिये जा रहे हैं। स्कीम का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 17 क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें गुवाहाटी में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है, का मूल्यांकन किया गया। यह मूल्यांकन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अधिकारियों को क्रमशः दिये गये प्रश्नावली तथा फीडबैक प्रोफार्मा के आधार पर किया गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2017 में शुरु, तथा सितम्बर 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- vkrk thr {kf=e;e] ,lksf,V Qsyks½

çe[k dk;l'kkyk,@lfeukj

• iokÙkj Hkkjr e Je ,o jktxkj d ennn% ljkdkj ,o pukfr;k fo"k; ij dk;l'kkyk

पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे: सरोकार एवं चुनौतियाँ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, के समाजशास्त्र विभाग के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा मैत्रेयी कॉलेज के सेमिनार हॉल में 12 अप्रैल 2017 को किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: i) काम के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाना, ii) कार्य जगत, सभ्य रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, प्रवासन, कौशल आदि को समझना, iii) प्रतिभागियों को सामान्य तौर पर भारत में और विशेष तौर पर पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से परिचित कराना, और iv) श्रम एवं रोजगार के मुद्दे को एक शोध विषय के तौर पर लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यशाला में मैत्रेयी कॉलेज के विभिन्न विभागों के छात्रों एवं संकाय सदस्यों ने भाग लिया। कुल 62 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. राशि भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मैत्रेयी कॉलेज तथा डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, समन्वयक, पूर्वोत्तर केंद्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया।

पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे: सरोकार एवं चुनौतियाँ विषय पर कार्यशाला के प्रतिभागी

• iokÙkj Hkkjr e Je ,o jktxkj d enn fo"k; ij dk;l'kkyk

पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन पूर्वोत्तर केंद्र वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा राजनीति विज्ञान विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय परिसर, मणिपुर द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय, के सेमिनार हॉल में 26–29 मई 2017 के दौरान किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: i) काम के ऐतिहासिक एंव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाना, ii) कार्य जगत, सभ्य रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों,

प्रवासन, कौशल आदि को समझना, iii) प्रतिभागियों को सामान्य तौर पर भारत में और विशेष तौर पर पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से परिचित कराना, और iv) श्रम एवं रोजगार के मुद्दे को एक शोध विषय के तौर पर लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, एनजीओ एवं शोध विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एन. सुरजीतकुमार, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, आईजीएनटीयू, आरसीएम तथा डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया।

पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगार के मुद्दे विषय पर कार्यशाला के प्रतिभागी

- **iokÙkj Hkkjr e lkekftd lj{k.k dk;Øek dk çHkkoh dk;kUo;u% vkx dh jkg fo"k; ij dk;'kkyk**

पूर्वोत्तर केंद्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा श्रम अध्ययन एवं सामाजिक संरक्षण केंद्र, टाटा समाजविज्ञान संस्थान, गुवाहाटी द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयनः आगे की राह विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन 16–17 मार्च 2018 के दौरान गुवाहाटी में किया गया। इस कार्यशाला का लक्ष्य कामगारों, विशेषकर अनौपचारिक सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक संरक्षण स्कीमों तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन की समझ विकसित करना था। इसके उद्देश्य इस प्रकार थेः ग्रामीण गरीबों और अनौपचारिक सैक्टर के कामगारों के आजीविका जोखिमों और सुभेद्यता को समझना; उन विभिन्न सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को समझना जो परिसंपत्तियों को अंतरित करते हैं, उद्यमिता, स्व–रोजगार के लिए लोगों को कौशल प्रदान करते हैं तथा उन सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों को समझना जो गरीबी से निपटने में लोगों को सक्षम बनाते हैं; सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं चुनौतियों को उजागर करना; और इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक मुकाबला कार्यनीतियों/सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाना। इस कार्यशाला में 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के एक हिस्से

के तौर पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. राजदीप सिंहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीआईएसएस, गुवाहाटी तथा डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयनः आगे की राह विषय पर कार्यशाला के प्रतिभागी

- **vuqla/kku çdk'ku ^iwoksZÙkj Hkkjr esa ;qokvksa dk dkS'ky fodkl% vkxs dh jkg^ dk çLrqrhdj.k**

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशंस द्वारा 20 मार्च 2018 को आयोजित पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास के लिए भारत–जापान साझेदारी पर कार्यशाला के दौरान 'पूर्वोत्तर भारत में युवाओं का कौशल विकासः आगे की राह' पर अनुसंधान प्रकाशन श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर कौशल विकास सोसायटी को सुदृढ़ करने के बारे में भी विचार–विमर्श किया।

मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह को अनुसंधान प्रकाशन भेंट करते हुए श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई

Je ,oa LokLF; v/;;u dsanz

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

dsanz ds eq[; vuqla/kku {ks=

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहार: जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- lHkh ea=ky;ksa ds lkekftd lqj{kk dk;ZØeksa@;kstukvksa dk v/;;u

यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेशानुसार शुरु किया गया। यह अध्ययन देश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों पर सरकार द्वारा किए गए खर्चों की पहचान एवं उनका अनुमान लगाने के लिए किया गया था। इस अध्ययन में उन सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान की गयी जो दो स्तरों पर परिचालित की जा रही हैं –(i) बुनियादी/मानव विकास, जैसे साक्षरता मिशन, स्कूली शिक्षा के प्रावधान के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा योजनाएँ, पेयजल एवं स्वच्छता तथा तकनीकी प्रशिक्षण आदि के लिए सार्वभौमिक कार्यक्रम और योजनाएँ, (ii) सामाजिक/मानव विकास योजनाएँ जो कि सुभेद्य नागरिकों को उनकी कामकाजी स्थिति के निरपेक्ष आईसीडीएस, पीडीएस, एनएसएपी, मनरेगा आदि जैसे सहायक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य ये चलायी जा रही हैं। प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के वार्षिक खर्च का मूल्यांकन किया गया।

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke

इस अध्ययन में देश के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के स्तर के साथ–साथ आबादी के कतिपय सुभेद्य वर्गों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों पर वार्षिक खर्च का अनुमान लगाया गया।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2017 में शुरु, एवं मई 2017 में पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs'kd½ Mk- :ek ?kks"k] Qsyks½

2- Hkkjr esa chMh m|ksx esa jkstxkj lac/kh] etnwjh ,oa dk;Zn'kk,¡

यह अध्ययन में मजूदरी और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करने के साथ बीड़ी उद्योग के विधानों का पर्यवेक्षण करता है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- बीड़ी कार्य में लगे लोगों और उद्योग की विशेषताओं की प्रोफाइल को समझना
- बीड़ी कामगारों के सामाजिक कल्याण के साथ बीड़ी उद्योग के विनियमन से संबंधित नीतिगत ढाँचे को समझना तथा इसका विश्लेषण करना
- विभिन्न हितधारकों के परिप्रेक्ष्य से उनके स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, श्रम अधिकार, बाल अधिकार और लिंग आधारित शोषण से संबंधित प्रमुख सरोकारों का समाधान करना और समाधान के उपायों सहित इनका प्रलेखीकरण करना
- न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की क्षमता के साथ बीड़ी निर्माताओं की लाभप्रदता की जाँच करने के लिए एक उद्यम करना।

vuqla/kku v/;;u ds ifj.kke

इस अध्ययन से उभरने वाली कुछ सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

- न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए। समानता और सादगी के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की स्थापना की सिफारिश की जाती है।
- कार्यदशाओं में सुधार करने, कल्याण हितलाभ प्रदान करने, उत्पादन प्रणाली को विनियमित करने आदि के लिए उद्योग से संबंधित सभी कानूनों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सभी बीड़ी कंपनियों का पंजीकरण तुरंत किया जाना चाहिए।
- कराधान नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- कामगार–कंपनी संबध अथवा कंपनी या जुड़ाव के कार्यकाल के निरपेक्ष सभी बीड़ी कामगारों के लिए वैध पहचान–पत्र।
- राज्य और निजी बुनियादी ढाँचे, दोनों का लाभ उठाकर स्वास्थ्य दशाओं का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है।
- वैकल्पिक आजीविका की ओर जाने का पता लगाया जाना चाहिए
- बीड़ी कामगारों को संगठित करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किया जाना चाहिए।

v/;;u dk 'k# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2017 में शुरु, एवं अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया था।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- :ek fdjx'kq d ljdkj] Qsyks½

tkjh ifj;kstuk,a

1- fnYyh esa vukSipkfjd fofuekZ.k esa dk;Z lxBu] lekfjd ljaj ,oa dk;Z LokLF; & fnYyh ,ulhvkj esa vukSipkfjd fofuekZ.k esa dk;Z lxBu] lkekftd lqj{kk ,oa lqj{kk çko/kkuksa dk ,d v/;;u

वर्तमान अध्ययन दिल्ली के समान एवं असमान औद्योगिक क्षेत्रों में फैले अनौपचारिक विनिर्माण सैक्टर में किया जा रहा है। इस अध्ययन में कार्यस्थल के मानकों तथा कामगारों के स्वास्थ्य, संरक्षा और कल्याण पर इनके प्रभाव को समझने की कोशिश की गई है। इस अध्ययन में विशेष रूप से कार्य संगठन के संदर्भ में लैंगिक गतिशीलता को समझने की कोशिश तथा गृह–आधारित इकाइयों में महिला कामगारों पर अनौपचारिक विनिर्माण के प्रभाव का आकलन करने की भी कोशिश की गई है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- दिल्ली में अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों के कार्य संगठन एवं संचालन का समझना
- अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों के विनियमन से संबंधित नीतिगत ढाँचे को समझना तथा इसका विश्लेषण करना
- अनौपचारिक विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कामगारों के प्रोफाइल को समझना
- कार्यस्थल के मानकों तथा कामगारों के स्वास्थ्य, संरक्षा और कल्याण पर इनके प्रभाव के बारे अनौपचारिक विनिर्माण के प्रभावों को समझना
- उनकी सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार एवं लिग आधारित चिंताओं से संबंधित प्रमुख सरोकारों का समाधान करना
- विभिन्न हितधारकों के परिप्रेक्ष्य को समझना

v/;;u dk 'k#,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को सितम्बर 2017 में शुरु किया गया, तथा इसे मई 2018 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- :ek ?kks"k] Qyks½

çeq[k dk;Z'kkyk,a

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, एकीकरण एवं युक्तिकरण तथा उन्हें श्रम संहिताओं से बदलने के लिए कदम उठाये हैं।

वीवीजीएनएलआई सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता तैयार करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अकादमिक जानकारी के साथ–साथ तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता के प्राथमिक मसौदा (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न कल्याण उपकर/निधि अधिनियमों सहित मौजूदा 15 श्रम कानूनों का एकीकरण करते हुए) बनने के बाद संस्थान ने विभिन्न भागीदारों से इस संहिता पर टिप्पणी/सुझाव माँगने के उद्देश्य से तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया।

- ✓ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता पर चर्चा करने हेतु ट्रेड यूनियनों एवं अनौपचारिक सैक्टर में काम करने वाले सीएसओ के लिए कार्यशाला, वीवीजीएनएलआई, 06 अप्रैल 2017

श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/अध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता उद्घाटन भाषण देते हुए

- ✓ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता पर चर्चा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से शिक्षाविदों एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिए कार्यशाला, इंडिया हैबिटेट सैंटर, नई दिल्ली, 13 अप्रैल 2017

श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उद्घाटन भाषण देते हुए

- ✓ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण श्रम संहिता पर चर्चा करने हेतु विधि विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए कार्यशाला, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, 30 मई 2017

सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता का प्रदर्शन

अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्र

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान ने श्रम में लिंगीय मुद्दे, नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर सात अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस एमओयू का उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य के संवर्धन के लिए दोनों संस्थानों के बीच प्रशिक्षण गतिविधियों में सहयोग बढ़ाना है। दोनों संस्थान अन्य बातों के साथ (i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने, और (iii) फैकल्टी की अदला–बदली से संबंधित परस्पर सरोकार के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। ऐसे सहयोग से कार्य की दुनिया में हो रहे रूपांतरणों की चुनौतियों का सामना करने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन होने की आशा है।

आईटीसी–वीवीजीएनएलआई सहयोग के एक भाग के तौर पर अफगानिस्तान के सामाजिक भागीदारों के लिए रोजगार नीतियाँ: नाजुकता से लचीलेपन की ओर पर एक एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

इस एक–वर्षीय कार्यक्रम के तहत छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ मार्टियर्स एंड डिसएबल्ड (एमओएलएसएएमडी), कामगार संगठनों, नियोक्ता एवं सिविल सोसायटी संगठनों से 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के विषय थेः युवा रोजगारः नीति से कार्रवाई तक, उद्यमिता विकास, प्रवासन एवं रोजगार, कौशल एवं रोजगार क्षमता, नाजुक राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लिंग एवं श्रम, तथा कार्यान्वयन के लिए डिजाइनः रोजगार नीतियों के लिए संस्थान।

- इस सहयोग के एक हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए 'उद्यमिता, शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अफगानिस्तान में ग्रामीण युवा रोजगार को बढ़ावा देना' पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन 05–09 फरवरी 2018 के दौरान ताज महल होटल, नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला में अफगानिस्तान के 19 प्रतिभागियों एवं वीवीजीएनएलआई के दो संकाय सदस्यों, जो इस कार्यशाला में प्रतिभागी एवं फैसिलिटेटर दोनों के रूप में शामिल हुए, ने भाग लिया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने 26–27 अक्टूबर 2017 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के बोर्ड के 80वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों संस्थानों के मध्य मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) की अवधि एक वर्ष बढ़ाने के लिए बोर्ड मीटिंग के दौरान 27 अक्टूबर 2017 को डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और श्री यांगो लिउ, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आईएलओ ने एमओयू के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए।

महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और निदेशक, आईटीसी ने दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यकलापों तथा भविष्य में कार्यकलापों को बढ़ाने की प्रचुर गुंजाइश के बारे में विचार–विमर्श किया। महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने कहा कि आईटीसी–आईएलओ एशिया, सब–सहारा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की संभावना का पता लगा सकता है। इससे इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने और अपनी पहुंच बढ़ाने में आई. टीसी को काफी मदद मिलेगी। यह प्रस्ताव किया जाता है कि एशिया में आईटीसी–आईएलओ का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के वीवीजीएनएलआई पर विचार किया जाए। यह देखते हुए कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र में दुनिया के श्रम बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, यह भी सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र के प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुनियाभर के सभी सामाजिक भागीदारों के हित में होगा यदि आईटीसी–आईएलओ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना, स्टार्ट अप की शुरुआत एवं संचालन करना, उन्नत उद्यम दक्षता के साथ कामगारों के सषक्तिकरण को बढ़ावा देना जैसे क्षेत्रों में नये कार्यक्रम विकसित करने पर विचार करे।

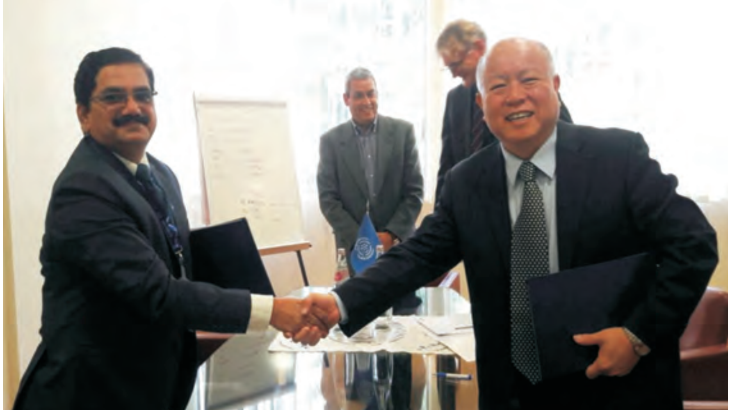

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और श्री यांगो लिउ, निदेशक, आईटीसी–आईएलओ एमओयू का आदान–प्रदान करते हुए

{k=h; Lrj ij le>krk Kkiu ¼,evk;½ ij gLrk{kj d fo'k"k dk;Øe

क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग शुरु करने की पहलों के एक हिस्से के तौर पर संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्तक्षर किये हैं:

¼i½ xqtjkr fodkl vuqla/kku laLFkku ¼thvkbZMhvkj½] vgenkckn dk lkFk ,evk; ij gLRkk{kj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान (जीआईडीआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु 27 अप्रैल 2017 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रो. आर. पार्थसारथी, निदेशक, जीआईडीआर द्वारा 'कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का उपयोग: एक पुनरावलोकन' पर एक विशेष व्याख्यान तथा वीवीजीएनएलआई एवं जीआईडीआर

श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं पूर्व महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और प्रो. आर. पार्थसारथी, निदेशक, जीआईडीआर एमओयू का आदान–प्रदान करते हुए

द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर करना शामिल थे। डॉ. एस. के. शशिकुमार ने संदर्भ स्थापित करते हुए एमओयू एवं भविष्य के सहयोगी कार्यकलापों के लिए आगे की योजना के महत्व पर जोर दिया। श्री मनीष कुमार गुप्ता, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने विशेष व्याख्यान दिया तथा श्रम एवं रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन को बढ़ावा देने में व्यावसायिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों, शोध विद्यार्थियों, ग्रामीण प्रशिक्षकों तथा विभिन्न अन्य संस्थानों के शिक्षाविदों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम वीवीजीएनएलआई एवं जीआईडीआर द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर एवं धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

¼ii½ xqtjkr fodkl vuqla/kku laLFkku ¼thvkbZMhvkj½] vgenkckn ds lkFk ,evks;w ij gLrk{kj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र (सीएसएसएससी), कलकत्ता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 20 जुलाई 2017 को हस्ताक्षर किये। सीएसएसएससी, आईसीएसएसआर और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तपोषित एक शैक्षिक संस्थान है। यह एमओयू देश के पूर्वी क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगी अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। इस एमओयू पर श्री मनीष कुमार गुप्ता, महानिदेशक, वीवीजएनएलआई तथा सीएसएसएससी के रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

¼iii½ VkVk lekt foKku laLFkku ¼Vhvkb,l,l½] xqokgkVh ds lkFk ,evks;w ij gLrk{kj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), गुवाहाटी के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा डॉ. डी. के. श्रीवास्तव, उप निदेशक, टीआईएसएस ने श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार; श्री पल्लव लोचन दास, माननीय श्रम कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में 06 अक्टूबर 2017 को हस्ताक्षर किये।

श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अकादमिक कार्यकलापों को सुगम बनाने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और टाटा समाज विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, दूरस्थ परिसर समझौता ज्ञापन स्थापित करने के लिए सहमत हुए। सहयोगी कार्यकलापों को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा का पूर्वोत्तर केंद्र तथा टाटा समाज विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, दूरस्थ परिसर के सामजविज्ञान एवं मानविकी स्कूल (एसएसएसएच) के श्रम अध्ययन एवं सामाजिक संरक्षण केंद्र (सीएलएसएसपी) शुरु करेंगे।

सहयोगी कार्यकलाप रोजगार एवं असंगठित कामगारों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान के साथ श्रम के विषय पर फोकस करेंगे। इस सहयोग के एक हिस्से के तौर पर किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- संयुक्त रूप से सेमिनार एवं कार्यशालाएं, खासकर समसामयिक नीति संबंधी मुद्दों पर, आयोजित करना
- परस्पर स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर संकाय सदस्यों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना
- परस्पर स्वीकार्य पद्धतियों पर सहयोगी अनुसंधान शुरु करना
- संकाय सदस्यों द्वारा, जब भी संबंधित संस्थानों के नियम ऐसा करने की अनुमति दें, शोध विद्यार्थियों के सह–पर्यवेक्षक के तौर पर कार्य करना; तथा
- परस्पर स्वीकार्य पद्धतियों पर सहयोगी शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरु करना।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार; श्री पल्लव लोचन दास, माननीय श्रम कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), असम सरकार; श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीजीएनएलआई और टीआईएसएस, गुवाहाटी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा डॉ. डी. के. श्रीवास्तव, निदेशक, टीआईएसएस, गुवाहाटी, दोनों संस्थानों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

çf'k{k.k vkSj f'k{kk ¼2017&18½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैः

- केद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान ने 138 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 4208 कार्मिकों ने भाग लिया।

Je ç'kklu dk;Øe

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 08 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 201 सहभागियों ने भाग लिया।

vkS|kfxd lac/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 06 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 149 सहभागियों ने भाग लिया।

{kerk fuekZ.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 42 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1203 सहभागियों ने भाग लिया।

cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 09 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 450 सहभागियों ने भाग लिया।

vUrjkZ"Vªh; çf'k{k.k dk;Øe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास

और रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 07 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल मिलाकर 164 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से 26–28 मार्च 2018 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में बारहवाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम इतिहास सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ''विगत के आइने में काम का भविष्य'' था। भारत एवं विदेश से 98 अध्येताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

iwokZÙkj jkT;ksa ds fy, çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 15 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 446 कार्मिकों ने भाग लिया।

vuqla/kku fof/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ–साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 06 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 154 सहभागियों ने भाग लिया।

lg;ksxkRed çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई; एनसीडीएस, भुवनेश्वर; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात; राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल; एसएलआई ओडिशा; त्रिपुरा विश्वविद्यालय,; केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान; गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से श्रम बाजार एवं रोजगार नीति, श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, लिंग पर उभरते परिप्रेक्ष्य, श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक,

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन/बेहतर कार्यान्वयन, बदलते औद्योगिक संबंध एवं श्रम प्रशासन, श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियां, युवा नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास भारत में श्रम सुधारः परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियां, श्रम अनुसंधान पद्धतियां, तटीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन एवं सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना, भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण अधिनियम, असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला आयोजकों को सशक्त बनाना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लैगिक एवं श्रमिक मुद्दे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 722 सहभागियों ने भाग लिया।

vkUrfjd dk;Øe

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड असम, ईएसआईसी, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, ओएनजीसी, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कुल मिलाकर 17 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 442 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

vizSy 2017& ekpZ 2018 ds nkSjku vk;ksftr izf'k{k.k dk;Øe

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
Je ç'kklu dk;Øe ¼,y,ih½				
1.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध और श्रम प्रशासन 22 – 25 मई 2017	04	16	किंगशुक सरकार
2.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 19 – 23 जून 2017	05	29	संजय उपाध्याय
3.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी – भूमिका और कार्य 28 – 31 अगस्त 2017	04	17	संजय उपाध्याय
4.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प, 21 – 24 अगस्त 2017	04	44	एस. के. शशिकुमार
5.	समानता से संबंधित कानून एवं महिलाओं का सशक्तिकरण, 06 – 10 नवम्बर 2017	05	17	शशि बाला
6.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 04 – 08 दिसम्बर 2017	05	17	किंगशुक सरकार
7.	कानूनों के प्रवर्तन में महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19 – 23 फरवरी 2018	05	29	शशि बाला
8.	श्रम कानूनों में नवीनतम संशोधन 23 – 24 फरवरी 2018	02	32	संजय उपाध्याय
vkS|ksfxd lac/k dk;Øe ¼vkbZvkjih½				
9.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 10 – 15 अप्रैल 2017	06	17	पूनम एस. चौहान
10.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 17 – 21 जुलाई 2017	05	22	संजय उपाध्याय
11.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 23 – 27 अक्टूबर 2017	05	53	किंगशुक सरकार
12.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 20 – 24 नवम्बर 2017	05	29	पूनम एस. चौहान
13.	कार्य का प्रभावी प्रबंधन: व्यवहारवादी दृष्टिकोण 22 – 25 जनवरी 2018	04	19	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuks dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
14.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद, 05 – 08 मार्च 2018	05	09	एस. के. शशिकुमार
{kerk fuekZ.k dk;ZØe ¼lhchih½				
15.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 17 – 21 अप्रैल 2017	05	27	एलीना सामंतराय
16.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 24 – 28 अप्रैल 2017	05	26	पूनम एस. चौहान
17.	नेतृत्व विकास कार्यक्रमः मीडिया सैक्टर 24 – 28 अप्रैल 2017	05	23	पी. अमिताभ खुंटिआ
18.	जामिया मिलिया इस्लामिया के परास्नातक के छात्रों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 03 – 07 अप्रैल 2017	05	18	शशि बाला
19.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता 13 अप्रैल 2017	01	40	रूमा घोष
20.	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 29 मई – 01 जून 2017	05	19	पूनम एस. चौहान
21.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 12 – 16 जून 2017	05	37	पूनम एस. चौहान
22.	भारतीय मजूदर संघ की आशा कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 05 – 09 जून 2017	05	29	पूनम एस. चौहान
23.	श्रम में लैंगिक मुद्दे 05 – 09 जून 2017	05	19	एलीना सामंतराय
24.	लिंग, श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य, 19 – 23 जून 2017	05	11	एलीना सामंतराय
25.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना 10 – 14 जुलाई 2017	05	32	एलीना सामंतराय
26.	नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना 31 जुलाई – 04 अगस्त 2017	05	39	पूनम एस. चौहान
27.	श्रम उत्पादकता एवं आजीविका 10 – 14 जुलाई 2017	05	21	किंगशुक सरकार

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
28.	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 24 – 28 जुलाई 2017	05	41	पूनम एस. चौहान
29.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 14 – 18 अगस्त 2017	05	24	अमिताभ खुंटिआ
30.	तेलंगाना राज्य के ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना, 02 – 05 अगस्त 2017	04	56	एलीना सामंतराय
31.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 – 18 अगस्त 2017	05	16	पूनम एस. चौहान
32.	युवा नियोजनीयता कौशलों की क्षमता को बढ़ाना 07 – 11 अगस्त 2017	05	28	धन्या एम. बी.
33.	नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना 28 अगस्त – 01 सितम्बर 2017	05	19	पूनम एस. चौहान
34.	श्रमिक एवं रोजगार मुद्दे 28 अगस्त – 01 सितम्बर 2017	05	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
35.	एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में लिंग, कार्य एवं स्वास्थ्य 21 – 25 अगस्त 2017	05	23	रूमा घोष
36.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 11 – 15 सितम्बर 2017	05	49	शशि बाला
37.	बीड़ी कामगारों के नेतृत्व कौशलों को सुदृढ़ करना 18 – 22 सितम्बर 2017	05	26	पूनम एस. चौहान
38.	लिंग, गरीबी और रोजगार 25 – 29 सितम्बर 2017	05	17	शशि बाला
39.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 25 – 29 सितम्बर 2017	05	27	पूनम एस. चौहान
40.	प्रवासन तथा विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 03 – 06 अक्टूबर 2017	05	23	एस. के. शशिकुमार
41.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 30 अक्टूबर – 03 नवम्बर 2017	05	22	धन्या एम. बी.

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
42.	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 30 अक्टूबर – 03 नवम्बर 2017	05	35	रूमा घोष
43.	वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रमिक मुद्दे (टीआईएलएस), 01 अक्टूबर 2017	01	54	एस. के. शशिकुमार
44.	कार्यस्थल में महिलाओं के कल्याण के मुद्दे 27 नवम्बर – 01 दिसम्बर 2017	05	30	शशि बाला
45.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम 21 नवम्बर 2017	01	90	हेलन आर. सेकर एलीना सामंतराय
46.	श्रमिक एवं रोजगार मुद्दे 18 – 22 दिसम्बर 2017	05	24	अमिताभ खुंटिआ
47.	एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा 30 नवम्बर 2017	01	19	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
48.	लिंग एवं सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 08 – 12 जनवरी 2018	05	17	शशि बाला
49.	श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियां 08 – 12 जनवरी 2018	05	18	अनूप के. सतपथी
50.	जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग 29 जनवरी – 02 फरवरी 2018	05	20	शशि बाला
51.	भवन एवं निर्माण सैक्टर में हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 29 जनवरी – 02 फरवरी 2018	05	22	संजय उपाध्याय
52.	बीएमएस तेलंगाना के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना, 29 जनवरी – 02 फरवरी 2018	05	46	पूनम एस. चौहान
53.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना 05 – 09 फरवरी 2018	05	18	शशि बाला
54.	बीड़ी सैक्टर से संबंधित मुद्दे 15 – 17 फरवरी 2018	03	40	अमिताभ खुंटिआ
55.	निर्माण उद्योग में व्यावसायिक संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण का संवर्धन, 26 फरवरी – 02 मार्च 2018	05	29	रूमा घोष

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
56.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना 05 – 09 मार्च 2018	05	17	शशि बाला
vuqla/kku i)fr dk;ZØe ¼vkj,eih½				
57.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 29 मई – 09 जून 2017	12	27	अमिताभ खुंटिआ
58.	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक पद्धतियां 07 – 18 अगस्त 2017	12	30	किंगशुक सरकार
59.	श्रम पर ऐतिहासिक अनुसंधान में पद्धतियां 11 – 15 सितम्बर 2017	05	20	एस. के. शशिकुमार
60.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां 13 – 24 नवम्बर 2017	12	22	रूमा घोष
61.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां 04 – 15 दिसम्बर 2017	12	29	एलीना सामंतराय
62.	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अनुसंधान पद्धतियां, 19 फरवरी – 01 मार्च 2018	11	26	धन्या एम. बी.
varjkZ"Vªh; çf'k{k.k dk;ZØe ¼vkbZVhih½				
63.	रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के अधिकारियों के लिए श्रम प्रशासन, रोजगार सेवाएं एवं कैरिअर परामर्श पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 – 19 अप्रैल 2017	10	24	रूमा घोष
64.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 04 – 22 सितम्बर 2017	18	22	पी. अमिताभ खुंटिआ
65.	युवा रोजगारः नीति से कार्रवाई तक, अफगानिस्तान सरकार के लिए आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई नौएडा द्वारा आयोजित, 22–26 अप्रैल 2017	05	29	अनूप सतपथी
66.	उद्यमिता विकास, अफगानिस्तान सरकार के लिए आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई, नौएडा द्वारा आयोजित, नई दिल्ली, 22–26 मई 2017	05	26	अनूप सतपथी

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
67.	प्रवासन एवं रोजगार, अफगानिस्तान सरकार के लिए आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई, नौएडा द्वारा आयोजित, काबुल, 15–19 जुलाई 2017	05	27	एस. के. शशिकुमार
68.	कौशल एवं रोजगार योग्यता, अफगानिस्तान सरकार के लिए आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई, नौएडा द्वारा आयोजित, काबुल, 20–23 अगस्त 2017	05	27	अनूप सतपथी
69.	नाजुक राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लिंग एवं श्रम, अफगानिस्तान सरकार के लिए आ. ईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई, नौएडा द्वारा आयोजित, नई दिल्ली, 18 – 22 सितम्बर 2017	05	28	एलीना सामंतराय
70.	डिजाइन करने से कार्यान्वयन तकः रोजगार नीतियों के लिए संस्थान, अफगानिस्तान सरकार के लिए आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई, नौएडा द्वारा आयोजित, नई दिल्ली, 16 – 20 अक्टूबर 2017	05	28	अनूप सतपथी
71.	नेतृत्व विकास को बढ़ाना 03 – 20 अक्टूबर 2017	18	30	पूनम एस. चौहान
72.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध 06 – 24 नवम्बर 2017	19	24	एस. के. शशिकुमार
73.	कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे 04 – 22 दिसम्बर 2017	19	31	शशि बाला
74.	एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक संरक्षण 08 – 25 जनवरी 2018	18	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
75.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 05 – 23 फरवरी 2018	19	11	एस. के. शशिकुमार
76.	स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 05 – 23 मार्च 2018	18	24	रूमा घोष
77.	श्रमिक इतिहास पर 12वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः विगत के आइने में कार्य का भविष्य, 26–28 मार्च 2018	03	98	एस. के. शशिकुमार

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuks dh l[;k	çfrHkkfx;ksa dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
Ckky Je dk;Øe ¼lh,yih½				
78.	एनसीएलपी का निष्पादन मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन (डाटा हासिल करना), 08 – 09 मई 2017	02	63	हेलन आर. सेकर किंगशुक सरकार एलीना सामंतराय
79.	बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम, 22 – 24 अगस्त 2017	03	38	हेलन आर. सेकर
80.	बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की दिशा में, 20 – 22 सितम्बर 2017	03	35	हेलन आर. सेकर
81.	एनसीएलपी के कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए व्यय अग्रिम अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल, 06 – 07 सितम्बर 2017	02	60	एलीना सामंतराय हेलन आर. सेकर
82.	एनसीएलपी अधिकारियों के लिए प्रभावी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (पेंसिल) प्लेटफॉर्म का ऑनलाईन प्रचालन, 06 – 07 सितम्बर 2017	02	66	हेलन आर. सेकर
83.	एनसीएलपी कार्मिकों के लिए एसटीसी के लाभार्थियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) 06 – 07 सितम्बर 2017	02	62	हेलन आर. सेकर
84.	बाल श्रम का समाधान करने के लिए शिक्षा में नामांकन एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करना 25 – 27 अक्टूबर 2017	03	52	हेलन आर. सेकर
85.	बाल श्रम अभिविन्यास कार्यक्रम 07 – 09 फरवरी 2018	03	31	हेलन आर. सेकर
86.	श्रमिक शोषण के लिए अवैध व्यापार का समाधान करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, 20 – 22 मार्च 2018	03	43	हेलन आर. सेकर
vkUrfjd dk;Øe				
87.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, शिमला के अधिकारियों के लिए काम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन, 19 – 23 जून 2017	05	19	पूनम एस. चौहान
88.	ईएसआईसी के अधिकारियों के लिए श्रम कानून 17 – 21 जुलाई 2017	05	22	रूमा घोष

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
89.	नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए काम का प्रभावी ढंग से प्रबंधः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 09 – 13 अक्टूबर 2017	05	29	पूनम एस. चौहान
90.	आरबीआई कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 27 नवम्बर – 01 दिसम्बर 2017	05	28	पूनम एस. चौहान
91.	ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहार कौशल, वीवीजीएनएलआई 27 नवम्बर – 01 दिसम्बर 2017	05	19	पूनम एस. चौहान
92.	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 04 – 08 दिसम्बर 2017	05	28	पूनम एस. चौहान
93.	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 11 – 15 दिसम्बर 2017	05	30	पूनम एस. चौहान
94.	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 18 – 22 दिसम्बर 2017	05	29	पूनम एस. चौहान
95.	उत्तर प्रदेश सरकार के सहायक कारखाना/बॉयलर निदेशकों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 – 15 दिसम्बर 2017	05	25	रूमा घोष
96.	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 08 – 12 जनवरी 2018	05	31	पूनम एस. चौहान
97.	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 15 – 19 जनवरी 2018	05	30	पूनम एस. चौहान
98.	ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहार कौशल, 04 – 06 जनवरी 2018	03	20	पूनम एस. चौहान
99.	उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन पर प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 – 19 जनवरी 2018	05	28	संजय उपाध्याय

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
100	नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 29 जनवरी–02 फरवरी 2018	05	34	पूनम एस. चौहान
101	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 12–16 फरवरी 2018	05	29	पूनम एस. चौहान
102	आरबीआई के कार्मिकों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 26 फरवरी– 02 मार्च 2018	05	29	पूनम एस. चौहान
103	आईआईएम लखनऊ के सहयोग से कार्य संस्कृति एवं लैंगिक समानता में सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 – 23 मार्च 2018	04	12	शशि बाला
mÙkj&iwohZ jkT;ksa ds fy, dk;Øe ¼,ubZihh½				
104	श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, 17 – 21 अप्रैल 2017	05	18	धन्या एम. बी.
105	पूर्वोत्तर भारत में श्रम एवं रोजगारः मुद्दे, सरोकार एवं चुनौतियां, 12 अप्रैल 2017	01	62	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
106	पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भारत में श्रमिक मुद्दों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, 01 – 05 मई 2017	05	11	एलीना सामंतराय
107	पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, 15 – 19 मई 2017	05	06	धन्या एम. बी.
108	पूर्वोत्तर भारत में श्रमिक एवं रोजगार के मुद्दे (मणिपुर) 26 – 28 मई 2018	03	60	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
109	कृषि कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, इम्फाल, 12 – 14 जून 2017	03	60	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
110	श्रम कानूनों के मूल तत्व 07 – 11 अगस्त 2017	05	40	संजय उपाध्याय

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuks dh l[;k	çfrHkkfx;ks dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
111	लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण 23 – 27 अक्टूबर 2017	05	20	एलीना सामंतराय
112	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 09 – 13 अक्टूबर 2017	05	21	धन्या एम. बी.
113	श्रमिकों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 06 – 10 नवम्बर 2017	05	07	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
114	उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 20 – 24 नवम्बर 2017	05	17	पूनम एस. चौहान
115	श्रम में लैंगिक मुद्दे 15 – 19 जनवरी 2018	05	15	शशि बाला
116	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं, 12 – 16 फरवरी 2018	05	24	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
117	कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना, 05 – 09 मार्च 2018	05	15	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
118	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन, 16 – 17 मार्च 2018	02	70	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
lg;ksxkRed çf'k{k.k dk;Øe ¼lhVhih½				
119	श्रम बाजार और रोजगार नीति (एमजीएलआई) 02 – 04 अगस्त 2017	03	45	किंगशुक सरकार
120	श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन (त्रिपुरा विश्वविद्यालय,) 22 – 24 अगस्त 2017	03	40	किंगशुक सरकार
121	लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते दृष्टिकोण (एसएलआई, ओडिशा), 05–07 सितम्बर 2017	03	37	एलीना सामंतराय
122	अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, ओडिशा), 05–07 सितम्बर 2017	03	34	रूमा घोष

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
123	असंगठित सैक्टर में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन/बेहतर कार्यान्वयन (एसएलआई, ओडिशा), 04 – 06 सितम्बर 2017	03	38	किंगशुक सरकार
124	बदलते औद्योगिक संबंध और श्रम प्रशासन, एसएलआई, पश्चिम बंगाल, 06 – 08 सितम्बर 2017	03	32	किंगशुक सरकार
125	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियां (एमजीएलआई) अहमदाबाद, 18 – 22 सितम्बर 2017	05	35	शशि बाला
126	युवा नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास (एनसीडीएस) भुवनेश्वर, 09–13 अक्टूबर 2017	05	37	अमिताभ खुंटिआ
127	भारत में श्रम सुधारः परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियां (एमजीएलआई अहमदाबाद), 05–07 अक्टूबर 2017	03	30	किंगशुक सरकार
128	श्रम अनुसंधान में पद्धतियां (त्रिपुरा विश्वविद्यालय,) 14 – 18 अक्टूबर 2017	05	30	किंगशुक सरकार
129	तटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन (केआईएलई), 13 – 17 नवम्बर 2017	05	42	अमिताभ खुंटिआ
130	लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना (एसएलआई ओडिशा) 27 – 29 दिसम्बर 2017	03	41	एलीना सामंतराय
131	भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण अधिनियम (एसएलआई ओडिशा), 26 – 28 दिसम्बर 2017	03	33	किंगशुक सरकार
132	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक संरक्षण (एमजीएलआई अहमदाबाद) 26 – 29 दिसम्बर 2017	04	35	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
133	ग्रामीण भारत में श्रम का समावेश, गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु, 02 – 06 जनवरी 2018	05	29	शशि बाला
134	असंगठित सैक्टर में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई, पश्चिम बंगाल), 17–19 जनवरी 2018	03	30	रूमा घोष

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
135	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक संरक्षण (एमआईएलएस, मुंबई), 20 – 23 फरवरी 2018	04	40	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
136	महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना, एसएलआई, ओडिशा, 26 – 28 फरवरी 2018	03	42	एलीना सामंतराय
137	एनसीएलपी के पीडी एवं कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, एसएलआई, ओडिशा, 26 – 28 फरवरी 2018	03	43	हेलन आर. सेकर
138	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दे जीआईडीआर, 26 – 28 मार्च 2018	03	29	एलीना सामंतराय
		732	4208	

vçy 2017 l ekp 2018 d nkjku vk;kftr fd, x, çf'k{k.k dk;Øe

Øe l-	dk;Øe dk uke	dk;Øek dh l[;k	dk;Øe d fnuk dh l-	lgHkkfx;k dh l[;k
1.	Je i'kklu dk;Øe ¼,y,ih½	08	34	201
2.	vk|kfxd lca/k dk;Øe ¼vkbvkjih½	06	29	149
3.	{kerk fuekZ.k dk;Øe ¼lhchih½	42	191	1203
4.	vuql/kku i)fr dk;Øe ¼vkj,eih½	06	64	154
5.	vrjk"Vh; dk;Øe ¼vkbih½	15	173	441
6.	cky Je dk;Øe ¼lh,yih½	09	23	450
7.	vkrfjd dk;Øe ¼bugkml½	17	82	442
8.	iokŸkj dk;Øe ¼,ubih½	15	64	446
9.	lg;kxkRed dk;Øe ¼lhih½	20	72	722
	tkM	138	732	4208

,u- vkj- Ms Je lwpuk lalk/ku dsUnz

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1- HkkSfrd lEink

iqLrdsa% अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक पुस्तकालय में 100 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 65,096 तक पहुंच गई।

i=&if=dk,a% पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 178 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2- lsok,a

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं का शुरु करने के लिए रु. 11,50,000/– का पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण ''एलआईबीएसवाईएस 10 ईजेबी'' खरीदा है।
- सूचना का चयनात्मक प्रचार–प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा
- आन–लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी–रोम सर्च
- दृश्य श्रव्य सेवा

- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3- mRikn

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिकाः तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिनः तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा–साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवाः यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्टः यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।

4- fof'k"Vhr lalk/ku dsUnz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित तीन विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र
- एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

jktHkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए 'हिन्दी सेल' का गठन किया गया।

jktHkk"kk dk;kZUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 22.06.2017, 01.09.2017, 19.12.2017 और 21.03.2018 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

fgUnh dk;Z'kkyk

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 07.06.2017, 25.08.2017, 30.10.2017 और 01.03.2018 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए संस्थान द्वारा 27 दिसम्बर 2017 को हिंदी वर्ग पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 29 सदस्य कार्यालयों के 57 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

frekgh fjiksVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2017, 30 जून 2017, 30 सितम्बर 2017 और 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

fgUnh i[kokMk

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 14 सितम्बर 2017 से 03 अक्टूबर 2017 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी टंकण अथवा हिन्दी वर्तनी एवं वर्ग पहेली, त्वरित भाषण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। हिदी पखवाड़ा के दौरान संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चित्रकारी प्रतियोगिता में तीन श्रेणियां रखी गयी थीं, अर्थात कक्षा 1–5 में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले बच्चे एवं कक्षा 9–12 में पढ़ने वाले बच्चे, और प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे। 03.10.2017 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

jktHkk"kk dks c<+kok nsus gsrq iqjLdkj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 15.02.2018 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइंस प्रभाग मुख्यालय, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 35वीं बैठक में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती नूतन गुहा विश्वास, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

tuZy@i=&if=dk,¡

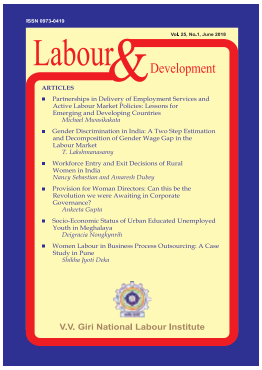

ycj ,.M MoyiesV

लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokMZ~l Mkbt sLV

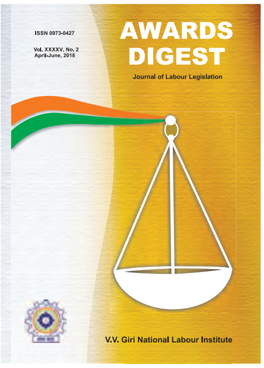

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

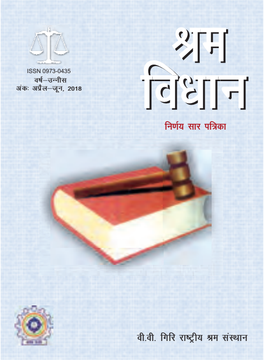

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह

अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bn/ku"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gksi

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

Je laxe

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

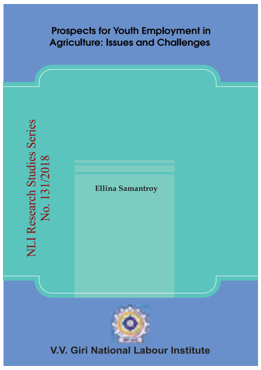

,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u J`a[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 129 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2017–18 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

- 127/2017 इंडियन माइग्रेंट लेबरर्स इन साउथ–ईस्ट एशियन एंड असम प्लांटेशंस अंडर द ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम–राणा पी. बहल
- 128/2016 वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टीः अ स्टडी ऑफ सलेक्ट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डेल्ही – रिन्जू रसाइली
- 129/2016 आईसीटी इम्परेटिव्ज़ टु ब्रिज दि डिजिटल डिवाइडः जेंडर पर्सपेक्टिव – शशि बाला

Okhoh th,u,yvkbl ikfylh illifDV0t

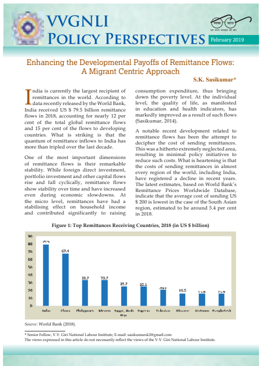

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़ में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव तथा उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अपनाया जा सकता हैं, पर फोकस किया जाता है।

- बोल्ड इनीशिएटिव टु इन्क्रीज़ वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ लेबर मार्किटः न्यू मूज़र्स इन मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट – एस. के. शशिकुमार
- टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग दि रोल ऑफ एंप्लॉयर्स इन स्किल डेवलपमेंट – संतोष मेहरोत्रा

Lkkef;d çdk'ku

संस्थान अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के आधार पर सामयिक प्रकाशन भी प्रकाशित करता है।

dk;LFky ij efgykvk d ;ku mRihMu dh jkdFkke ij çf'k{k.k ekM;y

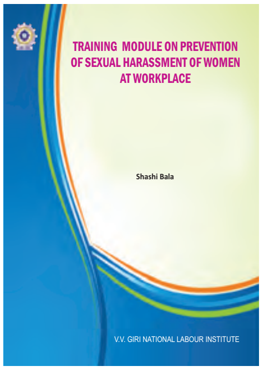

यौन उत्पीड़न पूर विश्व में कार्यस्थलों पर सामना किया जा रहा एक ऐसा खतरा है जो कामकाजी जीवन गुणवत्ता को कम करता है, महिलाओं क कल्याण को खतरे में डालता है, लैंगिक समानता को कम करके आंकता है तथा फर्मों एवं संगठनों की लागतों को बढ़ाता है। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल यौन उत्पीड़न की अवधारणा, यौन उत्पीड़न रोकने हेतु वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर की पहलों, आंतरिक शिकायत समितियों/स्थानीय शिकायत समितियों के प्रभावी कार्यचालन, भारतीय परिदृश्य से अच्छी प्रथाओं के साथ कार्य की दुनिया में संधारणीय समावेशी माहौल के सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

Mk;ukfeDl vkQ ,Eiyk;eaV vkQ fpYMªu ,.M lkf'k;k&bdkukfed fj;fyVh% v LVMh vkQ fpYMªu bu gykMZvl vD;ii'kl bu bLV ,.M oLV tfr;k fgYLk fMfLVDVl vkQ e?kky;

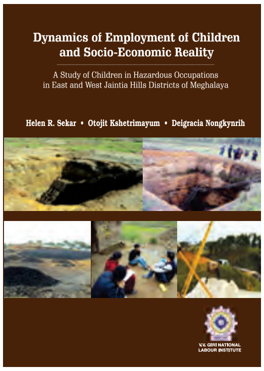

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार विभाग, मेघालय सरकार द्वारा सौंपा गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों में बाल श्रम की व्यापकता की जाँच करना था। यह अध्ययन उन क्षेत्रों, जहाँ पर विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, कोयला खनन का कार्य काफी मात्रा में किया जाता है, में बाल श्रम की व्यापकता और रोजगार की गतिकी को समझने में अवश्य ही योगदान करेगा।

lLFkku dk b&xoul ,o fMftVy volajpuk dk mUu;u

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ समन्वय में संस्थान ने वित्त वर्ष 2017–18 में अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना का अगले स्तर तक उन्नयन करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1. **b&vkfQl ç.kkyh dk lpkyu ,o LFkk;hdj.k%** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान 16 दिसम्बर 2016 से ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। वर्ष 2017–18 के दौरान एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए भी स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2. **ubl oclkbV dk 'kHkkjHk ,o ln<hdj.k%** संस्थान ने एक वर्ष तक वेबसाइट का डिजाइन बनाने एवं उसे विकसित करने के बाद 27 अप्रैल 2017 को नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3. **ifjlj e okbl&Qkbl ,o fuxjkuh ç.kkyh dk 'kHkkjHk%** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस नई सेवा का शुभारंभ संस्थान के महानिदेशक ने 02 अगस्त 2017 को किया। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने 05 अगस्त 2016 को आयोजित बैठक में कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

deZpkfj;ksa dh la[;k
¼31-03-2018 dks½

Lkewg	Lohd`r la[;k	inLFk
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	11
समूह क	05	03
समूह ख	08	05
समूह ग	31	14
समूह घ	25	19
;ksx	85	53

Q|dYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

l|LFkku dh Q|dYVh

	डॉ. एच. श्रीनिवास, एम.एससी., पीजीडीएम (एमडीआई), पीएच.डी., आईआरपीएस	महानिदेशक
1.	एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
4.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी.	फेलो
5.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
6.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
8.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
9.	प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
10.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
11.	एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

vf/kdkjh

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एआईसीडब्ल्यूए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	शैलेश कुमार, बी. कॉम	लेखा अधिकारी
4.	एस. के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई. एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

LVkQ

1.	कैलाश सी. बुड़ाकोटी	पर्यवेक्षक
2.	मदन लाल	व. वै. सहायक
3.	बी. एस. रावत	व. हिंदी अनुवादक
4.	ए. के. श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक
5.	मोनिका गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड – I
6.	पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
7.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
8.	गीता अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
9.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I
10.	एस. पी. तिवाड़ी	सहायक ग्रेड – I
11.	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – II
12.	वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड – II
13.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – II
14.	विजय कुमार	सहायक ग्रेड – II
15.	सुरेन्द्र कुमार	सहायक ग्रेड – II
16.	जे. पी. शर्मा	सहायक ग्रेड – II
17.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – II
18.	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – II

ys[kk ijh{kk fjiksVZ

vkSj

ys[kkijhf{kr okÆ"kd ys[kk

2017&2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का जवाब:

Øe l[;k	y[kkijh{kk iSjk	lLFkku dk tokc
¼d½	Rkqyu i=	
¼d-1)	vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k ¼vuqlwph&3½ ₹118-37 yk[k उपरोक्त ₹118.37 लाख की राशि आरक्षित निधि एवं परियोजना निधि से संबंधित है, इसे उद्दिष्ट निधि में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, 'आरक्षित एवं अधिशेषं' में ₹118.37 लाख का आधिक्य और 'उद्दिष्ट निधि' में ₹118.37 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।	संस्थान में 'आरक्षित निधिं' लाभार्थियों की विशेष श्रेणियों के लिए निधि उपलब्ध कराने के व्यापक उद्देश्य से उपलब्ध की गयी हैं परंतु वास्तव में लाभार्थियों को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी निधियों का पूर्ण नियंत्रण, लौटाने की बाध्यता के बगैर संस्थान के पास होता है। 'उद्दिष्ट निधि' ऐसी निधियां हैं जो संस्थान को विशेष चिह्नित परियोजनाओं के लिए कुछ शर्तों के तहत स्वीकृत की जाती हैं। इन शर्तों का पालन न करने की दशा में इन्हें निधीयन एजेंसी को लौटाना होता है। इसी प्रकार, 'आरक्षित एवं अधिशेषं' के अंतर्गत दर्शायी गयी परियोजना निधि वापसी की शर्त के बगैर विभिन्न एजेंसियों से अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्राप्त की जाती है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान का कार्य संस्थान का होता है तथा यह निधीयन एजेंसी के नियंत्रणाधीन नहीं होता है। दरअसल, उपरोक्त दोनों निधियां 'उद्दिष्ट निधि' के लक्षणों को पूरा नहीं करती हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, 'आरक्षित एवं अधिशेष' में आधिक्य और 'उद्दिष्ट निधि' में न्यूनोक्ति नहीं है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।

¼d-2½	mnfn"V fuf/k ¼vuqlwph&4½ ₹716-18 yk[k उपरोक्त राशि में पूंजीगत कार्यों के लिए सीपीडब्ल्युडी एवं एनआईसीएसआई को अग्रिम के तौर पर दिए गए ₹ 549.52 लाख शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 'उद्दिष्ट निधि' में ₹549.52 लाख का आधिक्य और 'पूंजीगत निधि' में ₹549.52 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।	पूंजीगत कार्यों के लिए दिए गए अग्रिम पूंजीगत निधि के समान नहीं होते हैं। 'पूंजीगत कार्य' का आशय उन परिसंपत्तियों से है जिन्हें 'पूंजीकृत' किया जाएगा अथवा परिसंपत्तियों के तौर पर दर्शाया जाएगा। 'पूंजी' का आशय संस्थान की अपनी निधियों से है। इस मामले में, अग्रिम निर्दिष्ट पूंजीगत कार्यों अर्थात प्रशासनिक भवन का नवीकरण और सक्रिय एवं निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली के संस्थापन के लिए सीपीडब्ल्युडी एवं एनआईसीएसआई को दिए गए हैं (अनुसूची–8 देखें)। कार्य पूरा होने पर इसे परिसंपत्तियों के तौर पर पूंजीकृत किया जाएगा और तत्पश्चात ही इस निधि को पूंजीगत निधि के तौर पर लिया जा सकता है। तदुनसार इस धनराशि को 'उद्दिष्ट निधि' के अंतर्गत दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, 'उद्दिष्ट निधि' में आधिक्य और 'पूंजीगत निधि' में न्यूनोक्ति नहीं है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
¼d-3½	fuos'k% mnfn"V fuf/k ¼vuqlwph&7½ ₹1263-81 yk[k उपरोक्त राशि में प्रोद्भूत ब्याज, स्टाफ को अग्रिम एवं बचज खाता शेष से संबंधित ₹ 209.68 लाख शामिल हैं जिन्हें चालू परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश' में ₹ 209.68 लाख का आधिक्य और 'चालू परिसंपत्तियां' में ₹ 209.68 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।	संस्थान निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त निधियों से प्राप्त प्रतिलाभ का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए नहीं कर सकता है। ऐसी निर्दिष्ट निधियों की राशि इन निधियों से प्रतिलाभ मिलते रहने के कारण बढ़ती जाती है। इसी प्रकार, ऐसी निधियों से दिए जाने वाले अग्रिम अथवा इनके बैंक बैलेंस के संबंध में भी संस्थान स्वतंत्र नहीं है और इसलिए इन्हें संस्थान की चालू परिसंपत्तियों के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि संस्थान के लेखे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान में उपलब्ध निधियों की सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार निवेश से प्राप्त आय को 'उद्दिष्ट निधि' के एक भाग के तौर पर ही दर्शाया गया है।

		उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, 'निवेश' में आधिक्य और 'चालू परिसंपत्तियां' में न्यूनोक्ति नहीं है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
¼[k½	lgk;rk vuqnku संस्थान ने वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 11.00 करोड़ का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹ 4.28 करोड़ की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹ 2.53 करोड़ का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹ 17.81 करोड़ हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2018 तक ₹16.99 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹ 82 लाख का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरणों को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है क्योंकि इनमें निधियों का दुर्विनियोजन नहीं है।

vuqca/k

Øe l-	fVIi.kh	Tkokc
1.	vkrfjd y[kkijh{kk ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान के सभी घटक विभागों की वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2	vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं: • 'kh"kk dk xyr oxhdj.k	• सहायता–अनुदान के उपयोग शीर्ष लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार हैं। इन शीर्षों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है तथा इस प्रकटीकरण का उल्लेख लेखों पर टिप्पणियां में किया गया है (ख–12)। इसलिए शीर्षों का गलत वर्गीकरण नहीं किया गया है।
3.	vpy ifjlifÙk;k d çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh संस्थान की सभी इकाइयों में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	oLr&lph d çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh संस्थान की सभी इकाइयों में वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	lkfof/kd n;rvk d Hkxrku e fu;ferrk संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

31 ekpl 2018 dk lekIr o"k d fy, oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d yk[kk ij Hkkjr d fu;=d ,o egkyk[kk-ijh{kd dh iFkd yk[kkijh{kk fjikVl

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखा-परीक्षा 2022–23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य-निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

¼d½ rqyu&i=

¼d-1½ vkjf{kr ,o vf/k'k"k ¼vuqlph&3½ ₹118-37 yk[k

उपरोक्त ₹118.37 लाख की राशि आरक्षित निधि एवं परियोजना निधि से संबंधित है, इसे उद्दिष्ट निधि में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, 'आरक्षित एवं अधिशेष' में ₹118.37 लाख का आधिक्य और 'उद्दिष्ट निधि' में ₹118.37 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।

¼d-2½ mnfn"V fuf/k ¼vu|l ph&4½ ₹716-18 yk[k

उपरोक्त राशि में पूंजीगत कार्यों के लिए सीपीडब्ल्युडी एवं एनआईसीएसआई को अग्रिम के तौर पर दिए गए ₹549.52 लाख शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 'उद्दिष्ट निधि' में ₹549.52 लाख का आधिक्य और 'पूंजीगत निधि' में ₹549.52 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।

¼d-3½ fuo'k% mnfn"V fuf/k ¼vu|l ph&7½ ₹1263-81 yk[k

उपरोक्त राशि में प्रोद्भूत ब्याज, स्टाफ को अग्रिम एवं बचज खाता शेष से संबंधित ₹209.68 लाख शामिल हैं जिन्हें चालू परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश' में ₹209.68 लाख का आधिक्य और 'चालू परिसंपत्तियां' में ₹209.68 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।

¼[k½ lgk;rk vunku

संस्थान ने वर्ष 2017–18 के दौरान ₹11.00 करोड़ का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹4.28 करोड़ की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹2.53 करोड़ का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹17.81 करोड़ हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2018 तक ₹16.99 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹ 82 लाख का अंत शेष रहा।

¼Xk½ çc/ku i=% ऐसी कमियां, जिन्हें लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संज्ञान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2018 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr d fu;=d ,o egky[kk-ijh{kd dh vkj l

g-@

ç/kku y[kkijh{kk fun'kd (lUVy)

LFkku: y[kuÅ

fnukd : 05-02-2019

vuqc/k

1. vkUrfjd y[kk ijh{kk dh i;kIrrk

संस्थान के सभी घटक विभागों की वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।

2. vkUrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं:

- शीर्षों का गलत वर्गीकरण

3. vpy ifjlEifÙk;ka dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

संस्थान की सभी इकाइयों में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4. oLrq-lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

संस्थान की सभी इकाइयों में वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5. lkfof/kd n;rkvks dk Hkqxrku esa fu;ferrk

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

g-@

mi funs'kd (lh b)

कृष्ण कुमार चनानी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

5/1, क्लाइव रो, तृतीय तल, कमरा सं. 78, कोलकाता – 700001

दूरभाषः 033–22302096/22309315

सेवा में,

महानिदेशक,

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2017-18)

हमने 31 मार्च 2018 को यथा स्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं।

लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

gekjh jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2018 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2018 को यथास्थिति संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

d".k dqekj pukuh
साझेदार कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
lunh y{kkdkj
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
LFkku: ubZ fnYyh
fnukad% 02 tqykbZ 2018

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekp 2018 dk ;FkkfLFkfr rqyui=

n; rk,	vu-	31-03-2018 dk vulkj vkdM	31-03-2017 dk vulkj vkdM
पूँजीगत निधि	1	105,483,322.51	106,333,315.77
विकास निधि	2	118,972,038.14	102,080,493.44
आरक्षित एवं अधिशेष	3	11,836,769.67	11,253,500.67
उद्दिष्ट निधि	4	71,618,471.00	86,860,652.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	66,168,987.00	54,619,863.50
;kx		**374,079,588.32**	**361,147,825.38**
ifjlaifÙk;k			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	6	129,543,432.00	113,312,751.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	7	126,381,061.37	109,076,229.67
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	8	118,155,094.95	138,758,844.71
;kx		**374,079,588.32**	**361,147,825.38**

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k] 18
vkdfLed n;rk,a ,oa ys[kk dh fVIif.k;k
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lca/k esa gLrk{kfjr
d`rs d".k dekj pukuh ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dekj pukuh	'kSyS'k dekj	g"kZ flag jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 26/06/2018

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; ,o 0;; ys[kk

C;kjk	अनु.	31-03-2018 ds vuqlkj vkdMs	31-03-2017 ds vuqlkj vkdMs
vk;			
सहायता अनुदान	9	94800975.00	135,176,160.00
फीस एवं अंशदान	10	**22764859.00**	**24,013,299.00**
अर्जित ब्याज	11	1902727.95	2,589,648.44
अन्य आय	12	18156610.89	14,065,681.00
पूर्व अवधि आय	13	25576.00	-
tksM ¼d½		**137650748.84**	**175,844,788.44**
0;;			
स्थापना व्यय	14	67324515.50	52,294,082.00
प्रशासनिक व्यय	15	28814630.90	24,947,983.24
पूर्व अवधि व्यय	16	0.00	-
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	50000651.50	90,011,098.00
tksM ¼[k½		**146,139,797.90**	**167,253,163.24**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय (क–ख)			
घटायें:		(8,489,049.06)	8,591,625.20
मूल्यह्रास	6	14,210,525.00	12,085,294.00
शेष, जिसे घाटे के कारण			
पूंजी निधि में ले जाया गया		**(22,699,574.06)**	**(3,493,668.80)**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 18
सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dekj pukuh	'kyS'k dekj	g"kZ flag jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 26/06/2018

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekpl 2018 dk lekIr o"k dh çkfIr;k ,o Hkxrku y[kk

fiNyk o"kZ 31.03.2017	çkfIr;k	jkf'k ¼#i;½ 31.03.2018	fiNyk o"kZ 31.03.2017	Hkxrku	jkf'k ¼#i;½ 31.03.2018
	vkfn 'k"k			0;;	
21,075.95	हस्तगत रोकड़	27,202.95	45,369,419.92	स्थापना व्यय	57,862,946.00
	बैंक में शेष		25,004,133.24	प्रशासनिक व्यय	28,093,595.43
829,429.01	चालू खाता	16,804,201.77	89,441,885.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	54,621,191.50
5,598,897.36	बचत खाता परियोजना	4,257,764.44			
290,279.05	बचत खाता – आईओबी	302,071.05			
80,138.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	85,850.27	12,638,994.00	अचल परिसंपत्तियाँ	9,874,500.00
89,367,949.81	खाते में जमा–विकास निधि	102,080,493.44			
-	खाते में जमा–उद्दिष्ट निधि	-			
6,273,577.82	ग्रेच्युटी खाता–1130025	5,192,193.82	2,599,468.00	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	-
5,012,390.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	4,828,839.38	2,237,277.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	1,901,381.00
57,535.00	हस्तगत डाकटिकट	52,738.00			
2,681,798.41	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति	2,955,794.75			
24,244,436	कार्पोरेशन बैंक–फ्लेक्सी बचत खाता 150025	20,279,782.28	909,726.00	स्टाफ को अग्रिम	92,844.00
	प्राप्त अनुदान		793,354.00	विभागीय अग्रिम	625,980.00
147,100,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	115,400,000.00			
723,085.00	अन्य एजेंसियों से	1,222,397.00		अन्य भुगतान	
1,931,067.00	अन्य परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	-	870,000.00	tek ifrHkfr dh okilh	334,650.00
	प्राप्त ब्याज			अंतशेष	
7,128,806.00	विकास निधि	8,299,919.50			
-	उद्दिष्ट निधि	-	27,202.95	हस्तगत रोकड़	31,796.95
10,785.00	वाहन अग्रिम	6,131.00		बैंक में शेष	
2,578,863.44	बचत खाता	1,896,596.95	16,804,201.77	चालू खाता	19,600,137.88
191,946.00	ब्याजः परियोजना लेखा	169,982.00	302,071.05	बचत खाता – आईओबी	313,748.55
24,924,142.00	फीस/अंशदान	19,760,251.00	85,850.27	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	91,434.27
14,015,681.00	अन्य आय	18,156,610.89	5,192,193.82	ग्रेच्युटी खाता–1130025	5,430,784.26
-	पूर्व अवधि आय	25,576.00	4,828,839.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	4,897,279.38
741,739.00	विभागीय अग्रिम	552,404.00	52,738.00	हस्तगत डाक टिकट	28,245.00
	अग्रिमों की वसूली		102,080,493.44	जमाः विकास निधि	118,972,038.14
856,566.00	स्टाफ से	339,664.00	4,257,764.44	बचत खाता – परियोजना	4,427,746.44
	अन्य प्राप्तियाँ		2,955,794.75	ईएमडी और जमा प्रतिभूति . 1150006	4,027,790.66
1,097,108.00	आयकर वापसी	-	20,279,782.28	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	12,587,976.03
973,894.00	प्राप्त जमा प्रतिभूति	1,119,601.00			
336,731,189.31	tksM	**323,816,065.49**	**336,731,189.31**	tksM	**323,816,065.49**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

egRoi.k y[kk uhfr;k] 18
vkdfLed n;rk,i ,o y[kk dh fVIif.k;k
le rkjh[k dh gekjh fjikVl dl lc/k ei gLrk{kfjr
कृते: कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dekj pukuh	'kyi'k dekj	g"k flg jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 26/06/2018

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekp 2018 dk lekIr o"k dk fy, y[kk dh vulfp;k

vulph 1 & iwth fuf/k

(रूपये राशि में)

		31-03-2018 dk vulkj vkdMs		31-03-2017 dk vulkj vkdMs
वर्ष के आरम्भ में शेष		106,333,315.77		67,098,519.20
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(8,591,625.20)		(5,583,737.63)
जोड़ें: पूंजी निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	30,441,206.00		46,677,522.00	
गैर–योजनागत अनुदानों से	-		1,634,681.00	
बाह्य परियोजनाओं से	-	30,441,206.00	-	48,312,203.00
आय से अधिक व्यय		(22,699,574.06)		(3,493,668.80)
tkM		**105,483,322.51**		**106,333,315.77**

vulph 2 & fodkl fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष		102,080,493.44		89,367,949.81
वर्ष के दौरान परिवर्धन		8,591,625.20		5,583,737.63
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज		8,299,919.50		7,128,806.00
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज				-
tkM		**118,972,038.14**		**102,080,493.44**

vulph 3&vkjf{kr ,oa vf/k'k"k

ifjØkeh fuf/k			
¼d½ ifjØkeh ,pch, fuf/k			
वर्ष के आरम्भ में शेष	6,468,640.93		6,089,137.93
जोड़ें' बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	328,865.00		300,829.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	61,594.00		78,674.00
tkM ¼d½	**6,859,099.93**		**6,468,640.93**

	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs
¼[k½ ifjØkeh dI;Vj fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	527,095.30	503,093.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	18,515.00	24,002.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	4,313.00	-
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया ब्याज	(12,000.00)	
जोड़ें: पिछले वर्ष समायोजित	12,000.00	-
tksM ¼[k½	**549,923.30**	**527,095.30**

¼x½ ifj;kstuk fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष	4,257,764.44	5,598,897.36
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		(169.92)
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	169,982.00	191,946.00
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	-	(1,532,909.00)
tksM ¼x½	**4,427,746.44**	**4,257,764.44**
tksM ¼d [k x½	**11,836,769.67**	**11,253,500.67**

vuqlwph 4 & mn~fn"V fuf/k ¼pkyw jgk dk;½

वर्ष के आरम्भ में शेष	86,860,652.00	65,677,993.00
जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)	5,324,525.00	16,665,795.00
जोड़ें: एफडीआर पर उपार्जित ब्याज		-
जोड़ें: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीगत) की राशि		40,190,073.00
जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	(20,566,706.00)	(35,673,209.00)
tksM	**71,618,471.00**	**86,860,652.00**

vuqlwph 5&pkyw ns;rk,a ,oa çko/kku

d&pkyw ns;rk,a		
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	3,262,576.00	2,477,625.00
सहायता अनुदान (पिछले वर्ष अप्रयुक्त)	-	-
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	4,169,218.00	7,947,193.00
बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं	1,488,875.00	1,469,049.00
tksM ¼d½	**8,920,669.00**	**11,893,867.00**
[k & çko/kku		
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं	57,248,318.00	42,725,996.50
tksM ¼[k½	**57,248,318.00**	**42,725,996.50**
tksM ¼d$[k½	**66,168,987.00**	**54,619,863.50**

vuqlwph 6 & vpy ifjlEifÙk;ka

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

fooj.k	eY;gkl dh nj	4-1-2017 dk ?kVrk eku	ifjo/kZu		o"kZ ds nkSjku gVk,	31-03-18 dks tksM+	eY;gkl dh jkf'k	31-03-18 dks ?kVrk eku
			31-10-17 rd	31-10-17 ds ckn				
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	99,692,652	1,159,094	21,675,459	-	122,527,205	11,168,948	111,358,257
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	3,267,738	-	715,530	-	3,983,268	362,550	3,620,718
उपकरण	15%	6,845,989	241,861	1,770,984	-	8,858,834	1,196,001	7,662,833
वाहन	15%	372,112	-	-	-	372,112	55,817	316,295
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	676,564	28,579	170,416	-	875,559	316,140	559,419
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%	155,404	-	-	-	155,404	38,851	116,553
कंप्यूटर	40%	880,884	-	1,245,650	-	2,126,534	601,484	1,525,050
सूचना प्रौद्योगिकी	15%	1,421,408	-	3,433,633	-	4,855,041	470,734	4,384,307
		113,312,751	**1,429,534**	**29,011,672**	**-**	**143,753,957**	**14,210,525**	**129,543,432**

*भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

vuqlwph 7&fuos'k % mn~fn"V fuf/k;ka

	31-03-2018 dks vuqlkj vkdM+s	31-03-2017 dks vuqlkj vkdM+s
d- fodkl fuf/k		
सावधि जमा खाते	101,641,405.83	92,317,284.63
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	17,316,092.00	9,749,182.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	-	-
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता	14,540.31	14,026.81
tksM+ ¼d½	**118,972,038.14**	**102,080,493.44**
[k- ifjØkeh ,pch, fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंक: एफडीआर	3,771,360.00	3,771,360.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	597,428.00	295,502.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	-	-
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	888,038.93	634,967.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,602,273.00	1,766,811.00
tksM+ ¼[k½	**6,859,099.93**	**6,468,640.93**

	31-03-2018 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs
x- ifjØkeh dkWiZl fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	505,186.30	474,671.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	44,737.00	52,424.00
tksM ¼x½	**549,923.30**	**527,095.30**
tksM ¼d$[k$x½	**126,381,061.37**	**109,076,229.67**

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifÙk;ka] _.k ,oa vfxze

v- pkyw ifjlEifÙk;ka		
क. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	31,796.95	27,202.95
cSad eas 'ks"k%		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	19,600,137.88	16,804,201.77
कार्पोरेशन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता	12,587,976.03	20,279,782.28
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	313,748.55	302,071.05
कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता	91,434.27	85,850.27
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	5,430,784.26	5,192,193.82
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	4,897,279.38	4,828,839.38
ईएमडी और जमा प्रतिभूति – 1150006	3,985,717.66	2,955,794.75
डाक टिकट खाता	28,245.00	52,738.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	
tksM ¼d½	**47,009,192.98**	**50,528,674.27**

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

[k- ifj;kstuk fuf/k	31-03-2017 dk vuqlkj vkdMs	o"kZ dk nkSjku çkIr jkf'k	cSad C;kt	o"kZ dk nkSjku 0;;	cSad çHkkj	31-03-2018 dk vuqlkj vkdMs
vkbZvkbZch eas ,lch [kkrk						
एनआरसीसीएल खाता–4475	2,850,695.36	-	115,418.00			2,966,113.36
एफसीएनआर खाता–10500	139,498.94	-	5,406.00			144,904.94
यूनीसेफ बाल श्रम डाटा विश्लेषण–50721	4,639.14	-	180.00			4,819.14
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	1,261,660.00	-	48,929.00			1,310,589.00
कार्पोरेशन बैंक, एसबी खाता वीवीजीएनएलआई कर्मचारी क. निधि 4098	1,271.00	-	49.00			1,320.00
tksM ¼[k½	**4,257,764.44**	**-**	**169,982.00**	**-**	**-**	**4,427,746.44**
tksM¼v½ ¼d$[k½	**54,786,438.71**					**51,436,939.42**

c- _.k ,oa vfxze

	31-03-2017 dk vuqlkj vkdMs	o"kZ dk nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ dk nkSjku olwyh@lek;kstu	31-03-2018 dk vuqlkj vkdMs
क. स्टाफ को				
त्यौहार अग्रिम	58,125.00	-	58,125.00	-
कार अग्रिम	209,244.00	5,727.00	50,862.00	164,109.00
स्कूटर अग्रिम	20,452.00	404.00	13,612.00	7,244.00
एलटीसी अग्रिम	149,220.00	86,713.00	217,065.00	18,868.00
tksM ¼d½	**437,041.00**	**92,844.00**	**339,664.00**	**190,221.00**

vu|lph 8 & pky ifj l ifÙk;k] _.k ,o vfxe ¼tkjh----½

	31-03-2017 dk vu|lkj vkdM	o"kZ dk nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ dk nkSjku olwyh@ lek;kstu	31-03-2018 dk vu|lkj vkdM
ख. बाहरी एजेंसियों को				
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–योजनागत 2000–01	487,691.00	-	-	487,691.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–योजनागत 2005–06	3,755,713.00	-	-	3,755,713.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–योजनागत 2015–16	25,761,380.00	-	18,599,747.00	7,161,633.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–योजनागत 2016–17	26,264,600.00	-	1,966,959.00	24,297,641.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–2017–18	-	5,324,525.00	-	5,324,525.00
एनआईसीएसआई 2016–17	13,925,473.00	-	-	13,925,473.00
	70,194,857.00	5,324,525.00	20,566,706.00	54,952,676.00
tkM ¼[k½				

	31-03-2018 dk vu|lkj vkdM	31-03-2017 dk vu|lkj vkdM
ग. अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	861,420.00	580,137.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	416,348.00	380,214.00
स्रोत पर कर की कटौती	3,330,096.00	2,494,583.00
जी एस टी	1,336,376.53	-
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)		-
विभागीय अग्रिम (पी.)	133,855.00	60,279.00
प्राप्य बिल	-	8,112,777.00
पूर्वदत्त खर्चे	2,010,425.00	1,712,518.00
विविध देनदार	3,486,738.00	-
tkM ¼x½	**11,575,258.53**	13,340,508.00
tkM ¼v$c½	**118,155,094.95**	138,758,844.71

vulph 9 & lgk;rk vulnku

	31-03-2018 d vulkj vkdM	31-03-2017 d vulkj vkdM
गैर–योजनागत		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	110,000,000.00	42,500,000.00
योजनागत		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	-	100,000,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) एन.ई.	-	10,000,000.00
tkM	**110,000,000.00**	**152,500,000.00**
घटाएंः अनुदान (वर्ष के दौरान अप्रयुक्त)		11,980,949.00
घटाएंः अवसंरचना के लिए उद्दिष्ट सहायता अनुदान	5,324,525.00	16,665,795.00
घटाएंः पूंजीकृत सहायता अनुदान	9,874,500.00	12,638,994.00
	(15,199,025.00)	(17,323,840.00)
vk; vkj 0;; [kkrk e n'kk;h x;h jkf'k;k	**94,800,975.00**	**135,176,160.00**

vulph 10 & Qhl ,o vfHknku

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	22,651,564.00	23,890,389.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट अभिदान	39,340.00	29,440.00
लेबर एंड डेवलपमेंट अभिदान	32,055.00	48,050.00
श्रम कानून.शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	17,000.00	20,500.00
श्रम विधान अभिदान	22,900.00	23,920.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	2,000.00	1,000.00
tkM	**22,764,859.00**	**24,013,299.00**

vulph 11 & vftr C;kt

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	6,131.00	10,785.00
प्राप्त ब्याज	1,896,596.95	2,578,863.44
tkM	**1902727.95**	**2,589,648.44**

vulph 12 & vU; vk;

गैर–योजनागत आय	3,797,209.00	4,633,282.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	13,039,200.00	8,702,700.00
निविदा फार्मों की बिक्री	26,350.00	31,000.00
फोटोस्टेट से आय	459,666.00	511,389.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री		-
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	152,328.00	110,930.00
अन्य प्राप्तियाँ	19,438.00	26,380.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार	662,419.89	50,000.00
परिसर के उपयोग से आय	-	-
tkM	**18,156,610.89**	**14,065,681.00**

vuqlwph 13&iwoZ vof/k vk;

	31-03-2018 dk vuqlkj vkdM+s	31-03-2017 dk vuqlkj vkdM+s
पूर्व अवधि आय	25576	-
	25576	**-**

vuqlwph 14&LFkkiuk O;;

स्टाफ को वेतन	44,367,914.00	34,790,055.00
भत्ते एवं बोनस	2,339,062.00	3,744,567.00
एनपीएफ में अंशदान	3,569,764.00	3,029,146.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत लाभ	15,430,637.50	4,323,116.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	461,016.00	114,495.00
सातवें वेतन आयोग का बकाया भगुतान	794,750.00	6,292,703.00
टी.ए. प्रतिनियुक्ति का अंतरण	361,372.00	
tksM	**67,324,515.50**	**52,294,082.00**

vuqlwph 15 & ç'kklfud O;;

विज्ञापन एवं प्रचार	5,131.00	141,029.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	357,154.00	2,681,673.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	7,459,625.00	5,411,847.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	238,137.00	165,535.00
बीमा	15,776.00	96,725.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क		9,750.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	284,840.00	723,621.00
विविध व्यय	119,188.93	72,855.24
प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	15,495,268.56	13,165,670.00
फोटोस्टेट व्यय	117,175.00	275,632.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	50,926.00	50,548.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	166,526.87	483,043.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद		130,350.00
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	114,937.00	75,012.00
ख. कूलर/ए.सी	770,238.00	442,157.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	96,123.00	197,573.00
स्टाफ कल्याण व्यय	297,601.00	162,735.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	704,678.54	561,137.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	1,690,012.00	984,346.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	475,738.00	433,697.00
जल प्रभार	355,555.00	317,729.00
vk; vkj O;; ys[kk esa varfjr /kujkf'k;k	**28,814,630.90**	**26,582,664.24**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत		1,634,681.00
tksM	**28,814,630.90**	**24,947,983.24**

vu|l|ph 16 & i|o| vof/k 0;;

	31-03-2018 d| vu|lkj vkdM|	31-03-2017 d| vu|lkj vkdM|
पूर्व अवधि व्यय	-	-
	-	**-**

vu|l|ph 17 & ;kstukxr vu|nku Ikj 0;;

d- vu|l/kku f'k{kk vkj çf'k{k.k		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	9,408,641.59	9,101,327.00
शिक्षण कार्यक्रम	10,676,763.76	11,182,434.00
ग्रामीण कार्यक्रम	2,427,483.00	4,282,841.00
सूचना प्रौद्योगिकी	436,810.00	657,196.00
परिसर सेवाएं	14,245,901.37	13,105,911.00
tkM ¼d½	**37,195,599.72**	**38,329,709.00**
[k- iokŸkj jkT;k d| fy, dk;Øe@ifj;kstuk,|		
शिक्षण कार्यक्रम	8,284,820.78	8,446,683.00
परियोजनाएं ;जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी / अवसंरचना / प्रकाशन शामिल हैं)	2,284,951.00	1,553,509.00
tkM ¼[k½	**10,569,771.78**	**10,000,192.00**
x- iLrdky; lfo/kkvk dk c<kuk		
पत्र / पत्रिकाओं को अभिदान	2,235,280.00	1,900,374.00
पुस्तकें	198,995.00	461,982.00
पुस्तकालय का विस्तार / आधुनिकीकरण	-	8,000.00
tkM ¼x½	**2,434,275.00**	**2,370,356.00**
?k- vol|jpuk	**-**	
सेमिनार खंडः नवीकरण एवं उन्नयन	-	7,291,236.00
प्रशासनिक खंडः नवीकरण एवं उन्नयन	5,324,525.00	27,500,000.00
एनआईसीएसआई – नेटवर्किंग	-	15,523,918.00
अवसंरचना विकास	9,675,505.00	
tkM ¼?k½	**15,000,030.00**	**50,315,154.00**
;kstukxr vu|nku Ikj dy 0;; ¼d l| ?k½	**65,199,676.50**	**101,015,411.00**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	5,324,525.00	
घटाएंः पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	9,874,500.00	11,004,313.00
	15,199,025.00	11,004,313.00
vk; 0;; [kkrk e| jde dk vrj.k	**50,000,651.50**	**90,011,098.00**

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je lLFkku] uks,Mk
38 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwfp;k¡

vuqlwph la- **18 :** egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡ ,oa ys[kk ij fVIif.k;k¡

d- egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡

1- foÙkh; vkfpR; ds ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2- foÙkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3- vpy ifjlEifÙk;k¡

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4- eY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

ifjlEifÙk;ksa dh Js.kh	eY;gkl dh nj
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
सूचना प्रौद्योगिकी (वेबसाइट)	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%
कम्प्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%

5- iwathxr oLrqvksa ij buiqV dj ØsfMV ¼th,lVh½

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है।

संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6- iwoZ vof/k lek;kstu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7- oLrq lwfp;k¡

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8- deZpkjh fgrykHk

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

[k- ys[kk ij fVIif.k;k¡

1. ys[kkdu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2- lgk;rk vuqnku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

3- iwath ,oa jktLo ys[kk

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

4- fofo/k nsunkj vkSj fofo/k ysunkj

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय

एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से किया जाता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान- बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

5- vpy ifjlEifŸk;k ,o eY;gkl

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

6- ifjlEifŸk;k dk çR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

7- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान ने सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 31 मार्च 2018 तक 5,49,52,676/– रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। संस्थान ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान उक्त अग्रिम में से सीपीडब्ल्युडी से 2,05,66,706/– रुपए का निपटारा कर लिया है। शेष राशि का उपयोग अभी भी सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से प्रतीक्षित है। संस्थान को सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से इस अग्रिम का निपटारा करने की सलाह दी जाती है।

8- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2018 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

fooj.k	31-03-2018 rd çko/kku	31-03-2017 rd çko/kku
उपदान	33,466,205.00	24,475,075.50
अर्जित अवकाश	23,782,113.00	18,250,921.00
	57,248,318.00	**42,725,996.50**

9- vk;dj fooj.kh

संस्थान ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।

संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

10- vkx y tk;k x;k vf/k'k"k

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

11- vkdfLed n;rk,

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

12- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vulfp;k 1 l 18 gLrk{kfjr

dr d".k dekj pukuh ,M ,lkfl,Vl
lunh y[kkdkj (,Qvkj,u 322232 b)

dr oh oh fxfj jk"Vh; Je lLFkku

g-@	g-@	g-@	g-@
d".k dekj pukuh	'kyk dekj	g'k flg jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 26/06/2018

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in